अंश पूँजी के लिए लेखांकन

1

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत आप:

- *व्यवसायिक संस्थाओं के निर्माण के संयुक्त पूँजी कंपनी की मूलभूत प्रकृति और कंपनी के विभिन्न प्रकारों का उसके सदस्यों का दायित्व के आधार पर वर्णन कर सकेंगे।*
- *कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।*
- *सममूल्य पर अंशों के निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, अधिमूल्य तथा बट्टे पर निर्गमन, अधि-अभिदान सहित लेखांकन व्यवहार कर सकेंगे।*
- *विभिन्न परिस्थितियों में अंशों के हरण और हरण किये गए अंशों के पुन: निर्गमन की रूप रेखा का अध्ययन कर सकेंगे।*
- *हरण किये गए अंशों के पुन: निर्गमन पर राशि को पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरण और अंश हरण खाता तैयार कर सकेंगे।*

एक संगठन का कंपनी प्रारूप संगठन प्रारूप के विकास का तीसरा चरण है। इसकी पूँजी व्यक्तियों के एक विशाल संख्या द्वारा विनियोजित की जाती है, जो कि इसके अंशधारी कहलाते हैं और कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। लेकिन न तो यह संभव है कि वह प्रबन्ध में बने रहें तथा न ही यह आवश्यक है कि वह प्रबंध को छोड़ दें। इसलिए वे कंपनी के मामलों को निपटाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में संचालक मंडल को नियुक्त करते हैं। तथ्य यह है कि कंपनी के सभी मामलों को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है। एक कंपनी से आशय है वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत या किसी अन्य कंपनी अधिनियम के अर्न्तगत निर्गमित या पंजीकृत है। चीफ जस्टिस मार्शल के अनुसार कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है।

कंपनी प्राय: अपनी पूँजी अंशों के रूप में (जो अंश पूँजी कहलाती है) और ऋणपत्रों (ऋण पूँजी) के रूप में एकत्रित करती है। यह अध्याय कंपनी की अंश पूँजी के लिए लेखांकन व्यवहार की व्याख्या करता है।

1.1 कंपनी की विशेषताएं

एक कंपनी को एक व्यक्तियों के संघ के रूप में दर्शाया जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कन्ध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका इसके सदस्यों से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है और यह अपने हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है। इसलिए यह कुछ विशेषताएं रखती है जो कि इसे अन्य संस्थानों से पृथक करती है। यह निम्न लिखित है:

© NCERT not to be republished

- *स्वैच्छिक संस्था :* वे व्यक्ति जो कि एक कंपनी का निर्माण करने के इच्छुक हैं, एक साथ एक व्यवसाय को स्वैच्छिक रूप से बढ़ा सकते हैं। अंत: इसे स्वैच्छिक संस्था के रूप में जाना जाता है।
- *पृथक वैधानिक अस्तित्व :* एक कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो कि इसका इसके सदस्यों से भिन्न है। यह किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का क्रय कर सकती है। यह अनुबन्ध कर सकती है और अपने नाम से बैंक खाता भी खोल सकती है। यह अन्य पक्ष पर अभियोग चला सकती है तथा कोई भी इस पर अभियोग चला सकता है।
- *सीमित दायित्व :* इसके सदस्यों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के भुगतान ना की गई राशि तक ही इसके सदस्यों का दायित्व होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में, कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित होता है।
- *स्थायी उत्तराधिकार :* कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति जो कि कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। एक कंपनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा इसके बावजूद भी कंपनी निरन्तर क्रियाशील रहती है।
- *सार्वमुद्रा :* कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि अधिकारित रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज यदि इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं है तो कोई कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होगी।
- *अंशों का हस्तांतरण :* एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। अंशों के हस्तांतरण के लिए कंपनी की आज्ञा या किसी सदस्य की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कंपनी के अंर्तनियमों के अंशों को किस प्रकार हस्तांतरित करना है, उसका उल्लेख होता है।

1.2 कंपनी के प्रकार

कंपनियों का वर्गीकरण या तो उनके सदस्यों के दायित्वों के आधार पर और या इसकी सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर एक कंपनी को दी गई तीन श्रीणियों में वर्णित किया जा सकता है।

(i) *अंशों द्वारा सीमित कंपनी :* ऐसी कंपनी में इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों की वास्तविक मूल्य तक सीमित होता है। यदि एक सदस्य द्वारा अंशों की पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है तो सदस्य के हिस्से कोई दायित्व नहीं होगा। चाहे कंपनी का ऋण कुछ भी हो। उस सदस्य को अपनी निजि परिसंपत्ति से एक पैसे का भी भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, यदि कोई दायित्व शामिल है भी, तो उसे कंपनी के अस्तित्व के दौरान अथवा समापन पर लागू किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

(ii) *गारन्टी द्वारा सीमित कंपनी :* ऐसी कंपनियों में सदस्यों का दायित्व, कंपनी के समापन होने की दशा में उनके अंशदान के अनुपातिक में होता है, जितना ही होगा। अत: इसके सदस्यों का दायित्व इसके समापन की घटना पर ही उत्पन्न होगा।

(iii) *असीमित कंपनी :* जब कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं होता है, तो यह कंपनी असीमित कंपनी कहलाती है। जब कंपनी की परिसंपत्ति इसके द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो इसके सदस्यों की निजी परिसंपत्तियों को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे शब्दों में लेनदार उनके बकाये का दावा कंपनी के सदस्यों पर कर सकते हैं। इस प्रकार की कंपनी भारत में नहीं पाई जाती यहां तक की कंपनी अधिनियम भी इसकी आज्ञा नहीं देता है।

सदस्यों की संख्या के आधार पर एक कंपनी को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं।

सार्वजनिक कंपनी : सार्वजनिक कंपनी आशय एक ऐसी कंपनी से है जो कि (अ) एक निजी कंपनी नहीं है, (ब) न्यूनतम पूँजी 5 लाख रखती हो या इससे अधिक चुकता पूँजी भी हो सकती है जैसे कि वर्णित हो, (स) एक निजी कंपनी जो कि सहायक कंपनी है और उसकी सूत्रधारी कंपनी निजी कंपनी नहीं है।

निजी कंपनी : एक निजी कंपनी वह है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूँजी एक लाख रुपये या इससे अधिक जैसे कि इसके अंतर्नियमों में वर्णित हो, हो सकती है:

(अ) अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध होता है।

(ब) इसके सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित होती है (इसके कर्मचारियों को छोड़कर)

(स) जनता में किसी भी अंश या ऋणपत्र का अभिदान के लिए आमत्रण निशेध होता है।

(द) सदस्यों, संचालकों तथा सम्बन्धियों के अतिरिक्त कोई आमन्त्रण या जमा स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध होता है।

1.3 कंपनी की अंश पूँजी

कंपनी, कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपनी पूँजी को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती जो कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की जाती है। ये व्यक्ति कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं तथा इनके द्वारा एकत्रित राशि एक कंपनी की अंशपूँजी कहलाती है। चूंकि कंपनी के अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक के लिए अलग अलग पूँजी खाता नहीं खोला जा सकता।

अत: एकत्रित पूँजी के असंख्य भागों को और उसके अस्तित्व को एक सामान्य पूँजी खाता, जो कि अंश पूँजी खाता कहलाता है में समायोजित कर दिया जाता है।

1.3.1 अंशपूँजी का वर्गीकरण

लेखांकन की दृष्टि से कंपनी की अंश पूँजी को निम्न प्रकार श्रेणीकृत किया जा सकता है:

- *अधिकृत पूँजी :* अधिकृत पूँजी, कंपनी की अंश पूँजी की राशि है जो कि कंपनी के सीमा पार्षद नियम के द्वारा निर्गमित की जाती है। अधिक राशि कंपनी सीमा पार्षद नियम में उल्लेखित पूँजी

© NCERT not to be republished

से अधिक राशि को एकत्रित नहीं कर सकती। यह वास्तविक या पंजीकृत पूँजी भी कहलाती है। अधिकृत पूँजी कंपनी अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी समस्त अधिकृत पूँजी को जनता में अभिदान के लिए एक ही समय में निर्गमित करने के लिए बाध्य नहीं है। यह कंपनी की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, परन्तु किसी भी स्थिति में यह पूँजी अधिकृत पूँजी से अधिक नहीं हो सकती।

- *निर्गमित पूँजी :* अधिकृत पूँजी का वह भाग जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया जाता है उसे निर्गमित पूँजी कहते हैं। इसमें वे अंश भी सम्मिलित है जो परिसंपत्ति विक्रेताओं प्रतिफल के बदले निर्गमित किये जाते हैं। अधिकृत पूँजी की वह राशि जो कि जनता में अभिदान नहीं की गई है 'अनिर्गमित पूँजी' कहलाती है तथा इसे आगामी तिथि को किसी भी समय जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किया जा सकता है।
- *अभिदत्त पूँजी :* यह निर्गमित पूँजी का वह भाग है जो व्यक्तियों द्वारा अभिदान किये गये अंशों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। जब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण रूप से अभिदान होता है तो निर्गमित पूँजी और अभिदत्त पूँजी समान होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अंततः, अभिदत्त पूँजी और निर्गमित पूँजी समान है क्योंकि यदि अभिदान के लिए अंशों की संख्या, निर्गकित संख्या से कम है तो कंपनी केवल उन्ही अंशों का आबंटन करेगी जिनके लिए अभिदान प्राप्त हो चुका है। किसी स्थिति में यह अंशों की संख्या, यदि निर्गमित संख्या से ज्यादा है तो आबंटित अंश, निर्गमित अंशों के समान होंगे। दूसरे शब्दों में, अधि–अभिदान के तथ्य, पुस्तकों में नहीं प्रदर्शित किए जाते हैं।
- *मांगी गई या याचित पूँजी :* अधिकृत पूँजी का वह भाग जो कि अंशों पर मांगी जाती है। कंपनी समस्त राशि या अंशों पर अंकित मूल्य के भाग को मांगने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आबंटित अंशों का अंकित मूल्य (वास्तविक मूल्य भी कहलाता है) 10 रुपये है और कंपनी ने केवल 7 रुपये प्रति अंश मांगा है तो इस स्थिति में मांगी हुई या याचित पूँजी केवल 7 रुपये प्रति अंश होगी। शेष 3 रुपये को अंशधारियों से किसी भी समय आवश्यकतानुसार माँग लिया जा सकता है।
- *प्रदत्त पूँजी :* यह मांगी गई पूँजी का वह भाग है जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। जब अंशधारी समस्त माँग राशि का भुगतान कर देते हैं तब माँग पूँजी प्रदत्त पूँजी के समान होगी। यदि कोई अंशधारी मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो यह राशि बकाया माँग कहलाती है। इसलिए प्रदत्त पूँजी, मांगी गई पूँजी में से बकाया माँग की राशि को घटाने पर शेष के समान होगी।
- *अयाचित पूँजी :* अभिदत्त पूँजी का वह भाग जो कि अभी तक मांगा जाना बाकी है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कंपनी यह राशि किसी भी समय जब आवश्यकता हो, भविष्य के कोषों (निधियों) के लिए एकत्रित कर सकती है।
- *आरक्षित पूँजी :* एक कंपनी द्वारा अयाचित पूँजी का एक भाग जो केवल कंपनी के संमापन की दशा के लिए आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की अयाचित राशि कंपनी को 'आरक्षित पूँजी' कहलाती है यह कंपनी के समापन पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है।

© NCERT not to be republished

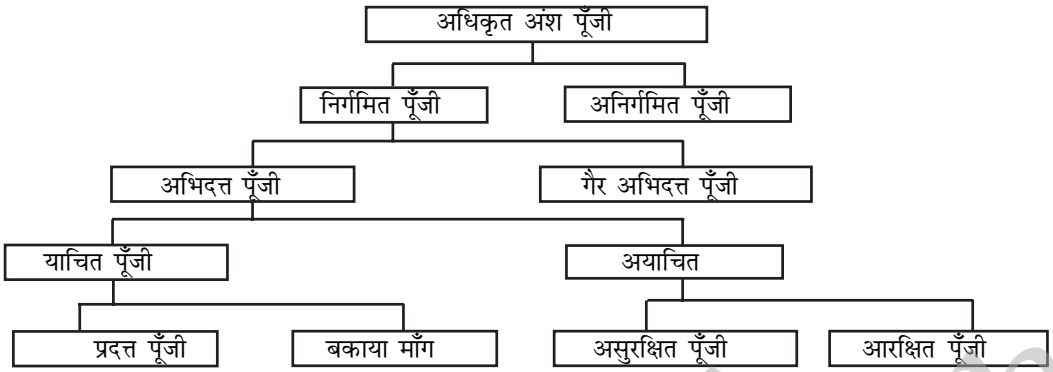

चित्र 1.1 *अंश पूँजी की श्रेणियाँ*

निम्न उदाहरण लेते हैं जो यह दर्शाता है कि अंश पूँजी को तुलन पत्र में किस प्रकार दर्शाया जाता है। सनराईस कंपनी लिमिटेड 40,00,000 की पूजी से पंजीकृत है जोकि 10 रु. प्रत्येक के 4,00,000 अंशों में विभाजित है। कंपनी 10 रु. प्रत्येक के 2,00,000 अंशों को जनता के अभिदान के लिए आमंत्रित करती है जिस पर 2 रु. आवेदन पर 3 रु. आबंटन पर, 3 रु. प्रथम माँग पर तथा शेष अंतिम माँग पर देय है। कंपनी ने 2,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए। कंपनी ने अंतिम निर्णय लेते हुए 2,00,000 अंशों का आबंटन किया 50,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। कंपनी ने अंतिम माँग की माँग नहीं की। 2,000 अंशों पर माँग राशि के अतिरिक्त कंपनी से सभी राशि प्राप्त कर ली। उपरोक्त राशि को कंपनी के तुलन पत्र से निम्न प्रकार दर्शाया जायेगा:

सनराईस कंपनी लिमिटेड
का तुलन पत्र

अंश पूँजी	(रु.)
अधिक अथवा पंजीकृत अथवा नाममात्र पूँजी	
4,00,000 अंश 10 रु.	40,00,000
निर्गमित पूँजी	
2,00,000 अंश 10 प्रत्येक	20,00,000
अमिदत्त पूँजी	
2,00,000 अंश 10 रु. प्रत्येक	20,00,000
याचित (माँगी) गई पूँजी	
2,00,000 अंश 10 रु. प्रत्येक, 8 प्रति अंश	16,00,000

© NCERT not to be republished

प्रदत्त पूँजी		
2,00,000 अंश 10 रु. प्रत्येक 8 रु. प्रति अंश	16,00,000	
घटाया : बकाया मांग		
(2,000 अंशों पर प्रति अंश की दर से)	6,000	15,94,000

1.4 अंशों की श्रेणी एवं प्रकृति

अंश जो कि कंपनी की पूँजी के लिए आवेदित किये जाते हैं, उस इकाई से संबंध रखते हैं, जिसमें कंपनी की कुल पूँजी बंटी होती है। इसलिए एक अंश, कंपनी की अंश पूँजी का वह भाग है जो कि 8 कंपनी के स्वामित्व में रूचि रखने के आधार तैयार करता है। व्यक्ति, जो कि अंशों के द्वारा राशि का योगदान देते हैं कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं।

अधिकृत पूँजी की राशि, अंशों की संख्या के साथ जिसमें की वह विभाजित है, सीमा पार्षद नियम दर्शाए जाते हैं, लेकिन अंशों की श्रेणियाँ जिसमें कि कंपनी की पूँजी विभाजित है, उसके अधिकार एवं कर्तव्यां के साथ, कंपनी के अंतिर्नयमों में निर्धारित होते है। कंपनी अधिनियम की धारा 86 के अनुसार एक कंपनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है: (1) पूर्वाधिकारी/अधिमान अंश (2) समता अंश (सामान्य अंश भी कहलाते हैं)

1.4.1 अधिमान अंश

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 85 के अर्न्तगत, एक अधिमान अंश वह होता है, जो कि दी गई शर्तों की पूर्ति करता है।

(अ) अधिमान अंशधारियों को या तो एक निश्चित राशि पर पूर्वाधिकार सहित देय लाभांश और या अंशों की वास्तविक मूल्य पर गणना की गई। निश्चित राशि जो कि समता अंशधारियों को भुगतान की गई लाभांश से पहले देने का अधिकार रखते हैं।

(ब) पूँजी के संबंध में यह कंपनी के समापन पर इस अंश की पूँजी वापिस करने का अधिकार समता अंश से पूर्व होना चाहिए।

यद्यपि उपरोक्त दो शर्तों में, अधिमान अंशधारी कंपनी के आधिक्यों में पूर्ण रूप से या किसी सीमा तक भाग लेने का अधिकार रखते हैं जो कि कंपनी के सीमा अंतिर्नयमों में पहले से वर्णित होता है। अत: अधिमान अंश भागी और गैर-भागी हो सकते हैं। इसी प्रकार यह अंश संचयी और असंचयी भी हो सकते हैं और शोध्य तथा अशोध्य भी हो सकते हैं।

1.4.2 समता अंश

कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 85 के अनुसार एक समता अंश, वह अंश है जो अधिमान अंश नहीं है। दूसरे शब्दों में वह अंश जो कि लाभांश के भुगतान या पूँजी के पुन: भुगतान के संबंध में कोई अधिकार नहीं रखता समता अंश कहलाता है। समता अंशधारी, कंपनी के लाभों में से उनका भाग, अधिमान अंशधारकों

© NCERT not to be republished

को लाभांश के अधिकार के पश्चात् लेने के अधिकारी होते हैं। समता अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं है, यह वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जो कि उलपब्ध लाभ में से वितरण की राशि पर निर्भर करता है। समता अंश पूँजी हो सकती है: (1) मताधिकार सहित; (2) मताधिकार हेतु अंतरीय अधिकार, लाभंश अथवा निर्धारित की गई परिस्थितियों के अनुसार नियमों पर।

स्वयं जांचिये-1

बताइये कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है:

(अ) एक कंपनी का निर्माण, भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार होता है।
(ब) कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है।
(स) एक कंपनी के अंशधारी, कंपनी के लिए कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं।
(द) कंपनी का प्रत्येक सदस्य, प्रबंध में भाग लेंने का अधिकारी है।
(च) सामान्यत: कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं
(छ) अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है।
(न) कंपनी के संचालक को अंशधारी होना आवश्यक है।
(म) आवेदन राशि, अंकित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिये।
(द) याचित पूँजी, प्रपत्र पूँजी से अधिक हो सकती है।
(फ) पूँजी आरक्षित का निर्माण, पूँजी लाभों में से किया जाता है।
(ह) प्रतिभूति अधिलाभ खाते को तुलन पत्र में परिसंपत्ति पक्ष के दर्शाया जाता है।
(ल) अंशों का प्रीमियम पर निर्गम पूंजी हानि है।
(व) अंशों के निर्गमन के समय, प्रतिभूति प्रीमियम की अधिकतम राशि 10% होगी।
(ज) पूँजी का वह भाग जो कि समापन के समय मांगा गया है, आरक्षित पूँजी कहलाता है।
(झ) हरण किये गए अंशों का हानि पर निर्गमन नहीं किया जा सकता।
(ड) मूल रूप से बट्टे पर निर्गमित किये गए अंशों को प्रीमियम पर पुन: निर्गमित किया जा सकता है।

1.5 अंशों का निर्गमन

कंपनी की पूँजी की विशेष्ता यह है कि अंशों की राशि को आसान किस्तों पर एकत्रित किया जा सकता है जो कि समय के व्यतीत होने के साथ-साथ वित्तीय आवश्यकताओं पर एकत्रित किया जाता है जिसे आवेदन राशि कहते है, तदपश्चात् श्रेणी को आबंटन (आबंटन राशि) कहते हैं और शेष किस्त जो कि प्रथम माँग और इसी प्रकार द्वितीय माँग कहलाती है। अंतिम किस्त के आगे अंतिम माँग का प्रयोग होगा यद्यपि, यह अंशों के आवेदन के समय कंपनी द्वारा पूर्ण राशि की माँग के अधिकार को रोकने का कोई विकल्प नहीं है।

अंश निर्गमन की प्रक्रिया के अंर्तगत महत्त्वपूर्ण चरण निम्न है।

- *विवरण-पत्रिका का निर्गमन :* कंपनी सर्वप्रथम जनता में प्रविवरण पत्र जारी करती है। विवरण-पत्रिका जनता को एक आमंत्रण होता है कि एक नई कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और इसको व्यवसाय करने के लिए कोषों की आवश्यकता है। यह कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारियां रखता है और किस प्रकार से निवेशकर्ताओं से प्राप्त राशि का प्रयोग किया जा रहा है।

© NCERT not to be republished

- *आवेदन पत्रों की प्राप्ति :* जब जनता के विवरण-पत्रिका को निर्गमित कर दिया जाता है तो भावी निवेशकर्ता अंशपूँजी में अभिदान के लिए अपेक्षा करते हैं तथा आवेदन के साथ-साथ आवेदन राशि को प्रविवरण-पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान (बॉक्स 1 में वर्णित) प्राप्त करना होगा। यदि कंपनी दी गई समयावधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल/असमर्थ रहती है, तो कंपनी को आबंटन की प्रक्रिया को वापिस करना होगा।
- *अंशों का आबंटन :* यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है तो एक कंपनी अब कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अंशों को आबंटित करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। जिन व्यक्तियों को अंश आबंटित किए जाने हैं उन्हें आबंटन पत्र भेजा जाता है तथा जिन्हें कोई अंश आबंटित नहीं किया जाना उन्हें खेदपत्र भेजा जाता है। जब आबंटन बनाया जाता है तो कंपनी तथा आवेदनकर्ता जो कि कंपनी के अंशधारी है के बीच एक वैध अनुबन्ध का रूप धारण कर लेता है।

बॉक्स 1
न्यूनतम अभिदान

इससे आशय है, वह न्यूनतम राशि जो कि निवेशकों की राय में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, जो कि संबंधित हैं:

- किसी भी परिसंपति का क्रय मूल्य, या जो क्रय की जानी है जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से अंशों की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुई है।
- कंपनी के द्वारा प्रारंभिक व्ययों को देय होना या अंशों के निर्गमन के संबंध में किसी प्रकार का कमीशन देय।
- उपरोक्त दो परिस्थितियों में कंपनी द्वारा किसी प्रकार की उधार ली गई राशि का भुगतान।
- कार्यशील पूँजी; तथा
- व्यावसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कोई अन्य खर्च।

यह समरणीय है कि **सेबी** दिशानिर्देश, 2000 [6.3.8.1 और 6.3.8.2] के अनुसार न्यूनतम अभिदान जारी की गई राशि का 90% से कम नहीं होना चाहिये। यदि यह शर्त पूर्ण नहीं होती, कपनी आवेदन पर प्राप्त समस्त राशि को लौटाने के लिए बाहय होती हैं। अभिदत के बन्द होने की तिथि के 8 दिनों के विलम्ब की स्थिति में कंपनी उस राशि पर 15% ब्याज देने के लिए बाध्य होगी [73(2)]

अंशों को सममूल्य या अधिलाभ या बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है यदि उनकी निर्गमित राशि, दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार अवास्तविक मूल्य के बराबर हो जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का मूल्य वास्तविक राशि (अंकित मूल्य) से अधिक हो तो यह अधिमूल्य पर निर्गमन और यदि अंशों का निर्गमन उनकी अंकित मूल्य से कम हो तो यह अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलाता है।

इस तथ्य के अनुसार यदि अंशों को सममूल्य, अधिलाभ और बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तो कंपनी की अंश पूँजी जैसी कि पहले वर्णित है, को किस्तों के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है जो कि भिन्न-भिन्न स्थितियों में प्राप्त किया जाता है।

© NCERT not to be republished

1.6 लेखांकन व्यवहार

आवेदन पर : विभिन्न किस्तों के साथ भुगतान की गई राशि अंश पूँजी में अभिदान को दर्शाती है जो कि अंतत: अंश पूँजी खाते में जमा की जायेगी हालांकि सुविधा के लिए प्रत्येक किश्त के लिये अलग खाता खोला जाता है आवेदन के साथ प्राप्त राशि को इस उदेश्य के लिए अनिसूचित बैंक में एक अलग खाता खोलकर जमा की जायेगी। रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी:-

बैंक खाता नाम
  अंश आवेदन खाते से
(– अंशों पर _____ प्रति अंश आवेदन पर प्राप्त राशि)

आबंटन पर : जब न्यूनतम अभिदान प्राप्त होगा तब कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ, कंपनी के निर्देशक अंशों का आबंटन करेंगे।

अंशों का आबंटन, कंपनी और आवेदकों के बीच अनुबंध, जो कि अंशों के आबंटी हैं और अंश धारकों या सदयों की स्थिति को दर्शाता है।

बॉक्स 2
अंशों का आबंटन
(लेखांकन की दृष्टि से लागे)

- यह प्रथा है कि कुछ राशि जो कि आबंटन राशि कहलाती है अंशों के आंबटियों से आबंटन करने के साथ ही माँग ली जाती है।
- आवेदकों से आमंत्रण की स्वीकृति मिलने पर यह राशि जो कि आवेदन पर प्राप्त हुई है, को उस पूँजी खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, क्योंकि अधिकारिक रूप से यह इस राशि का भाग होती है।
- रदद् किए गए आवेदन पत्र प्राप्त राशि को या तो पूरी तरह आवेदकों को विवरण-पत्र जारी करने की तिथि से 130 दिनों के भीतर लौटा दिया जाएगा या इस स्थिति में यदि आवेदन से अधिक अंशों पर आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं और कम अंशों का आबंटन किया गया है तो आवेदन से अधिक राशि को आबंटियों पर आबंटन के देय होने पर समायोजित की जाएगी।
- अंश पूँजी के संबंध में बाद वाली 2 चरण अंश आवेदन खाते को बंद करेंगे जो कि एक अस्थायी खाता है।

अंशों के आबंटन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी:

1. *अवेदन पर प्राप्त राशि का हस्तांतरण*
   अंश आवेदन खाता नाम
     अंश पूँजी खाते से
   (– अंशों पर आवेदन राशि का अंश पूँजी से हस्तांतरण)
2. *अस्वीकृत आवेदनों की राशि को वापस करने पर*
   अंश आवेदन खाता नाम
     बैंक खाते से
   (–अंशों पर अस्वीकृत आवेदनों पर राशि की वापसी पर)

© NCERT not to be republished

3. *आबंटन पर देय राशि के लिए*
   अंश आबंटन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
4. *अधिक आवेदन राशि के समायोजन के लिए*
   अंश आवेदन पर खाता नाम
   अंश आबंटन खाते से
   (–अेशों पर आवेदन राशि को आबंटन देय राशि में समायोजन)
5. *आबंटन राशि के प्राप्त होने पर :*
   बैंक खाता नाम
   अंश आबंटन खाते से
   (–अंशों पर- प्रति अंश की दर से प्राप्त आबंटन राशि)

कभी–कभी कंपनी की पुस्तकों में अंश आवेदन और अंश आबंटन खाता संयुक्त रूप से खोला जाता है जो अंश आवेदन और आबंटन खाता कहलाता है। संयुक्त खाता इस कारण पर आधारित है कि आबंटन बिना आवेदन के असंभव है जबकि आवेदन बिना आबंटन के अर्थविहिन है। अंश पूँजी की इस दो परिस्थितियों में घनिष्ट अंर्तसंबंध है जब खाता संयुक्त रखा जाता है तब रोजनामचा प्रविष्टियों को निम्न प्रकार प्रलेखन किया जायेगा:

1. *आवेदन और आबंटन राशि प्राप्त होने पर*
   बैंक खाता नाम
   अंश आवेदन और आबंटन खाते से
   (–अंशों पर _____ की दर से प्राप्त आवेदन और आबंटन राशि)
2. *आवेदन और आबंटन राशि के हस्तांतरण पर*
   अंश आवेदन और आबंटन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   (अंश आवेदन और आबंटन राशि का अंश पूँजी खाते में हस्तातरण)
3. *अस्वीकृत आवेदनों की राशि की वापसी पर :*
   अंश आवेदन और आबंटन खाता नाम
   बैंक खाते से
   (– अंशों के असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी)
4. *शेष आबंटन राशि की प्राप्ति पर*
   बैंक खाता नाम
   अंश आवेदन और आबंटन खाते से
   (शेष आबंटन राशि की प्राप्ति पर)

माँग पर : अंशों को पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में और अंशधारकों से अंशों की पूर्ण राशि वसूल करने में माँग एक आवश्यक भूमिका निभाती है। आबंटन की पूर्णअवधि तक, अंशों के पूर्ण रूप से भुगतान ना मांगे जाने की स्थिति में, निदेशक अंशों पर शेष राशि को किसी भी समय आवश्यकतानुसार मांगे जाने का निर्णय लेने

© NCERT not to be republished

का अधिकार रखते हैं। यह भी संभव है कि अंशधारियों द्वारा माँग भुगतान का समय अंशों के निर्गमन के समय दिया गया हो या विवरण-पत्र में इसका उल्लेख किया गया हो।

अंशों पर माँग के संबंध में दो महत्वपूर्ण बिन्दु है प्रथम कोई भी माँग राशि अंशों के अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं होगी। द्वितीय दो माँग के मध्य में कम से कम एक माह का अंतराल होना चाहिए या जैसा की कंपनी के सीमा अंतर्नियम में प्रावाधान किया गया हो।

जब माँग को किया जाता है और इस पर राशि प्राप्त की जाती है। तब रोजनामचा प्रावष्टि निम्न प्रकार होगी:

1. *माँग राशि देय होने पर*
   अंश माँग खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   (– अंशों पर _____ रु. की दर से माँग राशि देय)
2. *माँग राशि प्राप्त हाने पर*
   बैंक खाता नाम
   अंश माँग खाते से
   (माँग राशि प्राप्त)

प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय शब्दों का प्रयोग अंश माँग खाता में अंश और माँग खाता में अंश, और माँग के मध्य किया जाना आवश्यक है ताकि माँग की श्रेणी की पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए प्रथम माँग की स्थिति में अंश प्रथम माँग खाता, द्वितीय माँग की दशा में अंश द्वितीय माँग खाता कहलायगा। यहा ध्यान योग्य है कि शब्द और अंतिम को भी जोड़ा जाता है यदि यह अंतिम माँग है जैसे यदि द्वितीय माँग अंतिम माँग है तो यह द्वितीय और अंतिम माँग कहलाएगी और यदि तृतीय माँग अंतिम माँग है तो इसे तृतीय व अंतिम माँग कहेंगे। यह भी संभव है कि कंपनी आबंटन के बाद संपूर्ण शेष राशि एक ही माँग में एकत्रित करे। ऐसी स्थिति में प्रथम माँग ही प्रथम और अंतिम माँग कहलाएगी।

बॉक्स 3

जनता में अभिदान के लिए जब अंशों को निर्गमित किया जाता है तो निम्न बातों को ध्यान में रखा जाएगा:

1. आवेदन राशि, अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% होनी चाहिए।
2. माँग को सीमा अंतर्नियम के प्रावधान के अुनसार ही मांगा जाएगा।
3. वहां, जहां पर कोई अंतर्नियम नहीं है तो "सारणी-अ" में दिए गए निम्न प्रावधान लागू होंगे।
   (अ) दो मांगों के मध्य एक महीने का अंतराल होगा।
   (ब) मांगी गई राशि अंशों के अंकित मूल्य का 25% से ज्यादा नहीं होगा।
   (स) अंशधारियों को राशि के भुगतान के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए और
   (द) समान श्रेणी के सभी अंशों पर माँग को एक समान आधार से मांगा जाएगा।

टिप्पणी : समता अंश तथा अधिमान अंश दोनों के लिए लेखांकन की प्रक्रिया समान है, दोनों में मध्य अन्तर (भेद) के लिए प्रत्येक किस्त से पहले 'समता' और 'अधिमान' शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

उदाहरण 1

मोना अर्थ मूवर लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 12,000 अंश निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ निम्नानुसार हैं: 30 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आबंटन पर, 20 रुपये प्रथम माँग पर और शेष द्वितीय तथा अंतिम माँग पर। 13,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किये गए। निदेशकों ने 1,000 अंशों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा उनकी समस्त राशि लौटा दी गई। सभी अंशों पर आबंटन राशि को स्वीकार किया गया और 100 अंशों को छोड़कर सभी देय राशि को प्राप्त किया गया।

मोना अर्थ मूवर लिमिटेड की पुस्तकों में लेन-देन प्रलेखित करें।

हल :

मोना अर्थ मूवर लिमिटेड की पुस्तकें
रोज़नामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. स.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम अंश आवेदन खाते से (13,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त की गई)		3,90,000	 3,90,000
	अंश आवेदन खाता नाम अंश पूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित करने पर)		3,60,000	 3,60,000
	अंश आबंटन खाता नाम अंश पूँजी खाते से (12,000 अंशों पर 40 रुपये प्रति अंश आबंटन पर देय राशि)		4,80,000	 4,80,000
	अंश आवेदन खाता नाम बैंक खाते से (1,000 अंशों पर आवेदन राशि रद्द करने पर)		30,000	 30,000
	बेंक खाता नाम अंश आबंटन खाते से (12,000 अंशों पर 40 रुपये प्रत्येक आबंटन राशि प्राप्त करने पर)		4,80,000	 4,80,000

© NCERT not to be republished

	अंश प्रथम माँग खाता नाम अंश पूँजी खाते से (प्रथम माँग पर 12,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश देय राशि)		2,40,000	 2,40,000
	बैंक खाता नाम अंश प्रथम माँग खाते से (100 अंशों को छोड़कर सभी अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त करने पर)		2,38,000	 2,38,000
	अंश द्वितीय एवं अंतिम खाता नाम अंश पूँजी खाते से (12,000 अंशों पर 10 रु. प्रति अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग राशि देय)		1,20,000	 1,20,000
	बैंक खाता नाम अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से (100 अंशों के सिवाय द्वितीय और अंतिम माँग राशि प्राप्त हाने पर)		1,19,000	 1,19,000

उदाहरण 2

ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक की राशि के 40,000 अंश जनता के अंश पूँजी के लिए निगर्मित किये। इन पर देय राशियाँ निम्नानुसार हैं। आवेदन पर 4 रुपये, आबंटन पर 3 रुपये और शेष प्रथम तथा अंतिम माँग पर। 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किये गए। कंपनी ने आवेदकों को समस्त आबंटन कर दिया। आबंटन तथा प्रथम और अंतिम माँग पर देय राशि को प्राप्त कर लिया गया।

हल :

ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की पुस्तकें

रोज़नामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
	बैंक खाता नाम अंश आवेदन खाते से (40,000 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर)		1,60,000	 1,60,000

© NCERT not to be republished

	अंश आवेदन खाता नाम		1,60,000	
	अंश पूँजी खाते से			1,60,000
	(आवेदन राशि को अंश खाते में हस्तांतरित करने पर)			
	अंश आबंटन खाता नाम		1,20,000	
	अंश पूँजी खाते से			1,20,000
	(40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन पर देय राशि)			
	बैंक खाता नाम		1,20,000	
	अंश आबंटन खाते से			1,20,000
	(40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन की राशि प्राप्त हाने पर पर)			
	अंश प्रथम एवं अंतिम माँग खाता नाम		1,20,000	
	अंश पूँजी खाते से			1,20,000
	(40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रत्येक अंश प्रथम एंव अंतिम माँग पर देय राशि)			
	बैंक खाता नाम		1,20,000	
	अंश प्रथम एवं अंतिम खाते से			1,20,000
	(प्रथम और अंतिम माँग पर मांगी गई राशि की प्राप्ति पर)			

स्वयं करें

जनवरी 1, 2006 को एक लिमिटेड कंपनी को 40,000 रुपये की अधिकृत पूँजी वाले 10 रुपये प्रत्येक अंश के साथ निगमित (सम्मिलित) किया गया। कंपनी ने जनता में अभिदान के लिए 3,000 अंशों को निर्गमित किया, जिन पर देय राशियां हैं:

आवेदन पर	3 रुपये प्रति अंश अंश
आबंटन पर	2 रुपये प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के 1 महीने पश्चात्)	2.50 रुपये प्रति अंश
द्वितीय और अंतिम माँग पर	2.50 रुपये प्रति अंश

जनता द्वारा समस्त अंशों का अभिदान किया गया तथा आवेदन राशि को 15 जनवरी, 2006 को प्राप्त किया गया। संचालकों ने फरवरी 1, 2006 को आबंटन किया।

आप अंश पूजी के लेन-देन को एक कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार प्रलेखित करेंगे यदि समस्त देय राशि को प्राप्त कर लिया गया है और कंपनी संयुक्त आवेदन तथा आबंटन के खाते बनाती है।

© NCERT not to be republished

1.6.1 बकाया माँग

समान्यत: यह पाया गया है कि मांगी गई पूँजी का भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक चुकाया नहीं जाता। जब कोई अंशधारी मांगी गई आबंटन की राशि या माँग राशि का भाग देय तिथि तक नहीं चुका पाता तो इस राशि को धद्यपि, बकाया माँग कहते हैं। माँग राशि, सभी माँग खातों का नाम शेष दर्शाती है तथा इसको चुकता पूँजी में से घटाकर तुलन पत्र के दायत्वि पक्ष में दर्शाया जाता है। जहां एक कंपनी 'बकाया माँग खाता' तैयार करती है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राजनामचा प्रविष्टी की जाएगी। यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

बकाया माँग खाता नाम
  अंश प्रथम माँग खाते से
  अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से
(बकाया माँग राशि को लेखों में ले जाते हुए)

कंपनी की सीमा अंतर्नियम सामान्यत: कंपनी के संचालकों को बकाया माँग राशि पर ब्याज की राशि के निर्दिष्ट दर से परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं, इस प्रकार की स्थिति में यदि अर्न्तनियम इसका खुलासा नहीं करते तो 'सारणी-अ' में दिए गए नियम के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा जो कि यह दर्शाता है कि ब्याज दर 5% से अधिक नहीं हो सकती है।

माँग राशि के ब्याज सरिह प्राप्ति पर, ब्याज की राशि को ब्याज खाते में जबकि माँग राशि को क्रमश: माँग खाते अथवा बकाया माँग खाते में जमा किया जाएगा। जब अंशधारी बकाया माँग राशि को ब्याज सहित भुगतान करता है तो इस संबंध में प्रविष्टि निम्न प्रकार से होगी।

बैंक खाता नाम
  बकाया माँग खाते से
  ब्याज खाते से
यदि कुछ भी वर्णित नहीं है, तो यहां माँग पर
ब्याज की राशि को लेखे में ले जाने तथा उपरोक्त
प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण 3

क्रोनिक लिमिटेड ने 10,000 समता अंश जो कि 10 रुपये प्रत्येक है, निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ हैं:

आवेदन पर 2.50 रुपये; आबंटन पर 3 रुपये; प्रथम माँग पर 2 रुपये तथा शेष अंतिम माँग पर। सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिदान स्वीकार किया गया सिवाय एक अंशधारी के जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन किया लेकिन अंतिम माँग राशि का भुगतान नहीं किया। इस लेन-देन के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टि करें।

© NCERT not to be republished

हल

क्रोनिक लिमिटेड
रोज़नामचा

तिथि	विवरण		ब.पृ. स.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता	नाम		25,000	
	अंश आवेदन खाते से				25,000
	(10,000 अंशों पर 2.50 रु. प्रति अंश आवेदन राशि स्वीकार की गई)				
	समता अंश आवेदन खाता	नाम		25,000	
	अंश पूँजी खाते से				25,000
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित करने पर)				
	समता अंश आबंटन खात	नाम		30,000	
	अंश पूँजी खाते से				30,000
	(10,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय होने पर)				
	बैंक खाता	नाम		30,000	
	अंश आबंटन खाते से				30,000
	(आबंटन राशि की प्राप्ति पर)				
	अंश प्रथम माँग खाता	नाम		20,000	
	अंश पूँजी खाते से				20,000
	(10,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		20,000	
	अंश प्रथम माँग खाते से				20,000
	(प्रथम माँग राशि की पाप्ति होने पर)				
	अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता	नाम		25,000	
	अंश पूँजी खाते से				25,000
	(अंतिम माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		24,750	
	बकाया माँग खाते से	नाम		250	
	अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से				25,000
	(100 अंशों के सिवाय अंतिम माँग राशि की प्राप्ति होने पर)				

© NCERT not to be republished

1.6.2 अग्रिम माँग खाता

कभी–कभी कुछ अंशधारी कंपनी के अंशों पर प्राप्त राशि का कुछ भुगतान या समस्त भुगतान, माँग से पूर्व ही कर देते हैं। अंशधारियों से प्राप्त इस राशि को अग्रिम माँग राशि कहते हैं। अग्रिम माँग राशि एक कंपनी के लिए देयधन है और इसे अग्रिम माँग खाते में जमा किया जाता है। प्राप्त राशि को माँग राशि के देय होने की तिथि के साथ ही समायोजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम की 'सारणी संबंध अ' में अग्रिम माँग के संबंध में ब्याज की राशि पर 6% की दर से ज्यादा का प्रावधान नहीं दर्शाती।

अग्रिम माँग की प्राप्ति पर रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी :

बैंक खाता नाम
  अग्रिम माँग खाते से
(अग्रिम माँग राशि की प्राप्ति पर)

जब वास्तव में माँग राशि देय होती है तो अग्रिम माँग राशि के सम्बंध में निम्न रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी।

अग्रिम माँग खाता नाम
  संबंधित माँग खाते से
(अग्रिम माँग राशि को माँग राशि के देय के साथ समायोजित करने पर)

अग्रिम माँग खाते का शेष कंपनी के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में अलग मद के रूप में अंश पूँजी के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा लेकिन चुकता पूँजी की राशि में नहीं जोड़ा जाएगा।

जैसे कि अग्रिम माँग एक कंपनी के लिए दायित्व है, यह कंपनी का कर्त्तव्य है, कि इस प्रकार की राशि की प्रविष्ट पर, प्राप्ति की तिथि से वास्तविक देय तिथि तक ब्याज का भुगतान करे। एक निर्दिष्ट दर से राशि इस संबंध में कंपनी के अन्तर्नियमों में देय है।

यदि अन्तर्नियमों में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो अग्रिम माँग के संबंध में 'सारणी अ' लागू होगी जो कि यह दर्शाती है कि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगी। अग्रिम माँग के संबंध में ब्याज की राशि का लेखांकन व्यवहार होगा:

1. *ब्याज की राशि की प्राप्ति पर*
   अग्रिम माँग ब्याज खाता नाम
     बैंक खाते से
   (अग्रिम माँग पर प्राप्त ब्याज के भुगतान पर)

अथवा

2. *ब्याज देय होने पर*
   अग्रिम माँग पर ब्याज खाता नाम
     विविध अंशधारियों के खाते से
   (अग्रिम माँग पर ब्याज)

© NCERT not to be republished

उदाहरण 4

कोनिका लिमिटेड 2,00,000 रुपये की अधिकृत समता पूँजी जो कि 2,000 अंशों 100 रुपये प्रत्येक में विभाजित है साथ पूँजीकृत है, ने अभिदान के लिए 1,000 अंश निर्गमित किये जिन पर 25 रुपये आवेदन राशि; 20 रुपये प्रथम माँग पर और शेष आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर।

1,000 अंशों के लिए आवेदन स्वीकार किये गए और आबंटन किया गया। आबंटन की राशि पूर्ण रूप से स्वीकार की गई, लेकिन जब प्रथम माँग राशि मांगी गई तो एक अंशधारी जिसने 100 शयरों के लिए आवेदन किया था, माँग राशि चुकाने में असमर्थ था तथा एक अन्य अंशधारी ने 50 अंशों के लिए सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। कंपनी ने कोई अन्य माँग नहीं थी।

कंपनी के पुस्तकों में अंश पूँजी के लेन देन से संबंधित आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें।

हल :

कोनिका लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. स.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		25,000	
	समता अंश आवेदन खाते से			25,000
	(1,000 अंशों पर पर 25 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्ति पर)			
	समता अंश आवेदन खाता नाम		25,000	
	अंश पूँजी खाते से			25,000
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित करने पर)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		30,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			30,000
	(1,000 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		30,000	
	समता अंश आबंटन खाते से			30,000
	(आबंटन राशि की प्राप्ति पर)			
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम		20,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			20,000
	(1000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग देय)			

© NCERT not to be republished

	बैंक खाता	नाम		19,250	
	बकाया माँग खाते से	नाम		2,000	
	समता अंश प्रथम माँग खाता				20,000
	अग्रिम माँग खाते से				1,250
	(900 अंशों पर प्रथम माँग राशि की प्राप्ति तथा 50 अंशों पर अग्रिम माँग राशि 25 रुपये प्रति अंश)				

व्यवहार में समस्त प्राप्त राशि को रोकड़ बही में प्रलेखित किया जाएगा, रोजनामचों में नहीं (देखें उदाहरण 5)।

उदाहरण 5

यूनीक पिक्चर्स लिमिटेड का पंजीकरण 5,00,000 रुपये की अधिकृत पूँजी जिसे 20,000 से किया गया जिसे 5% अधिमान अंश 10 रुपये प्रत्येक अंश तथा 30,000 समता अंश, 10 रुपये प्रत्येक अंश में बांटा गया। कंपनी ने 10,000 पूर्वाधिकारी तथा 15,000 समता अंशों को अभिदान प्राप्ति हेतु जनता में निर्गमन किया। अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार है:

	समता अंश (राशि रुपये)	*अधिमान अंश (रुपये)*
आवेदन	2	2
आबंटन	3	3
प्रथम माँग	2.50	2.50
द्वितीय और अंतिम माँग	2.50	2.50

सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिदान स्वीकार किया गया। द्वितीय और अंतिम माँग 100 समता अंशों तथा 200 उपरोक्त लेनदेन को रोजनामचा में प्रलेखित साथ ही रोकड़ पुस्तक और तुलन पत्र भी तैयार करें।

© NCERT not to be republished

हल :

यूनीक पिक्चर्स लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	समता अंश आवेदन खाता नाम		30,000	
	5% अधिमान अंश आवेदन खाता नाम		20,000	
	समता अंश आवेदन खाते से			30,000
	5% अधिमान अंश पूँजी खाते से			20,000
	(आवेदन राशि के हस्तांतरण पर)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		45,000	
	5% अधिमान अंश आबंटन खाता नाम		30,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			45,000
	5% अधिमान अंश पूँजी खाते से			30,000
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित करने पर)			
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम		37,500	
	5% अधिमान प्रथम माँग खाता नाम		25,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			37,000
	5% अधिमान अंश पूँजी खाता			25,000
	(प्रथम माँग राशि देय)			
	बकाया माँग खाता नाम		750	
	समता अंश द्वितीय एंव अंतिम माँग खाते से			250
	5% अधिमान अंश हितिय एवं अंतिम माँग खाते से			500
	(बकाया माँग के लिए)			

रोकड़ पुस्तक (बैंक संतभ)

नाम *जमा*

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*राशि (रु.)*	*तिथि*	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*राशि (रु.)*
	समता अंश आवेदन		30,000		शेष आ/ले		2,49,250
	5% पूर्वधिकारी अंश आवेदन		20,000				
	समता अंश आबंटन		45,000				
	5% पूर्वधिकारी अंश आबंटन		30,000				

© NCERT not to be republished

	सकता अंश प्रथम माँग		37,500				
	5% अधिमान अंश प्रथम माँग		25,000				
	समता अंश द्वितीय एंव अंतिम माँग		37,250				
	5% अधिमान अंश द्वितीय एंव अंतिम माँग		24,500				
			2,49,250				**2,49,250**

यूनीक पिक्चर्स लिमिटेड का तुलन पत्र

दायित्व			*राशि (रु.)*	*परिसंम्पत्तियां*	*राशि (रु.)*
अधिकृत पूँजी				बैंक	2,49,250
30,000 समता अंश 10 रुपये प्रत्येक		3,00,000			
20,000, 5% अधिमान अंश 10 रुपये प्रत्येक		2,00,000	5,00,000		
निर्गमित पूँजी					
15,000 समता अंश 10 रुपये प्रत्येक		1,50,000			
10,000, 5% अधिमान अंश 10 रुपये प्रत्येक		1,00,000	2,50,000		
चुकता पूँजी					
15,000; समता अंश 10 रुपये प्रत्येक		1,50,000			
10,000, 5% अधिमान अंश 10 रुपये प्रत्येक		1,00,000			
		2,50,000			
घ टाओ : माँग (बकाया)					
समता अंश	250				
अधिमान अंश	500	750	2,49,250		
			2,49,250		**2,49,250**

© NCERT not to be republished

उदाहरण 6

रोहित एन्ड कंपनी ने 30,000 अंश 10 रुपये प्रत्येक अंश निर्गमित किये जिस पर 3 रुपये आवेदन पर; 3 रुपये आबंटन और 2 रुपये प्रथम माँग 2 महीने के पश्चात् देय है। आबंटन राशि को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हुई लेकिन प्रथम माँग पर एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे प्रथम माँग राशि का भुगतान नहीं किया और एक अन्य अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे, ने द्वितीय और अंतिम माँग जो कि 2 रुपये है अभी मांगी नहीं गई का भुगतान कर दिया।

कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

रोहित एन्ड कंपनी की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		90,000	
	अंश आवेदन खाते से			90,000
	(30,000 अंशों पर पर 3 रु. प्रति आवेदन राशि की प्राप्ति पर)			
	अंश आवेदन खाता नाम		90,000	
	अंश पूँजी खाते से			90,000
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित करने पर)			
	अंश आबंटन खाता नाम		90,000	
	अंश पूँजी खाते से			90,000
	(30,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय होने पर)			
	बैंक खाता नाम		90,000	
	अंश आबंटन खाते से			90,000
	(आबंटन राशि की प्राप्ति होने पर)			
	अंश प्रथम माँग खाता नाम		60,000	
	अंश पूँजी खाते से			60,000
	(30,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग राशि देय होने पर)			
	बैंक खाता नाम		59,800	
	बकाया माँग खाता नाम		800	
	अंश प्रथम माँग खाते से			60,000
	अग्रिम माँग खाते से			600
	(300 अंशों पर 2 रुपये प्रत्येक अग्रिम प्राप्ति तथा 400 अंशों पर 2 रुपये प्रत्येक प्रथम माँग राशि प्राप्त नहीं होने पर)			

© NCERT not to be republished

स्वयं करें

1. एक कंपनी ने 20,000 समता अंश 10 रुपये प्रत्येक जो कि 3 रुपये आवेदन; 3 रुपये आबंटन; 2 रुपये प्रथम माँग और 2 रुपये द्वितीय माँग और अंतिम माँग पर देय है, का निर्गमन किया। आबंटन राशि को मई 1, 2005 या उससे पहले भुगतान किया जा सकता है। प्रथम माँग, अगस्त 1, 2005 या उससे पहले और द्वितीय और अंतिम माँग अक्तूबर 1, 2005 या उससे पहले भुगतान की जा सकती है। 'एक्स' जिसको 1,000 अंश आबंटित किए गए, ने आबंटन तथा माँग राशि का भुगतान नहीं किया; 'वाई' जिसको 600 अंश आबंटित किए गए थे, ने दोनों माँग राशि का भुगतान नहीं किया और 'जेड' जिसके पास 400 अंश थे, ने अंतिम माँग का भुगतान नहीं किया। रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए तथा दिसम्बर 31, 2005 पर कंपनी का तुलन पत्र तैयार करें।
2. अल्फा कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 10,000 अंश, निर्गमित किए। इन पर देय राशियां इस प्रकार हैं। 3 रुपये आवेदन पर; 2 रुपये आबंटन पर और शेष दो समान किश्तों पर देय है। आबंटन की राशि मार्च, 30, 2006 या उससे पहले; और अंतिम माँग राशि अगस्त 31 या उससे पहले देय है। मिस्टर 'अ' जिनको 600 अंशों का आबंटन किया गया था; ने अंशों के अंकित मूल्य का सभी शेष आबंटन के समय ही कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ प्रलेखित करें और इस तिथि पर कंपनी का स्थिति विवरण भी तैयार करें।

1.6.3 अधि-अभिदान

कुछ स्थितियों में जब कंपनी का जनता में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आ जाते हैं; तो ऐसा अक्सर अंशों के अच्छे प्रबन्ध के निर्गमन द्वारा तथा कंपनी की मजबूत/सुदृड़ वित्तीय स्थिति के कारण होता है, अधि-अभदान कहलाता है।

इस प्रकार की स्थिति में संचालकों के पास इसके व्यवहार के लिए तीन विकल्प मौजूद है: (1) कुछ आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके तथा शेष को पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है; (2) सभी आवेदकों के अंशों का आबंटन आनुपातिक या समानुपात के रूप में किया जा सकता है; तथा (3) उपरोक्त दोनों विधियों को संयुक्त रूप से लागू कर सकते हैं, जो कि व्यवहार में सबसे सामान्य विधि है।

अधि-अभिदान की समस्यों का अन्ततः समाधान अंशों के आबंटन द्वारा किया जाता है। अतः लेखांकन के दृष्टिकोण से अधि-अभिदान की स्थिति को आवेदन और आबंटन के संपूर्ण ढांचे के अन्दर रखा जाता है। अर्थात आवेदन राशि की प्राप्ति आबंटन पर देय राशि और अंशधारकों से प्राप्ति तथा यहि प्रविष्टियों के प्रतिरूप से प्रतिबिंबित है।

प्रथम विकल्प : जब संचालक कुछ आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तथा अन्य को पूर्ण रूप से रदद् कर देते हैं, तो रदद् आवेदन से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने 20,000 अंशों को आमन्त्रण किया तथा 25,000 अंशों के लिए आवेदन स्वीकार किये। संचालकों ने 5,000 अंशों के लिए किए गए आवेदन को बिल्कुल रदद् कर दिया जो कि आवश्यक संख्या से अधिक थे और आवेदन राशि को पूर्ण रूप से वापिस कर दिया गया। इस स्थिति में आवेदन और आबंटन पर रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी:

© NCERT not to be republished

आवेदन और आबंटन पर वैकल्पिक तौर पर रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार से की जाएगी:-

1. बैंक खाता नाम
   अंश आवेदन खाते से
   (25,000 अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति पर)

2. अंश आवेदन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   बैंक खाते से
   (25,000 अंशों पर आबंटन राशि के हस्तांतरण तथा रदद् किए गए अंशों को अंश पूँजी के हस्तांतरण करने पर)

3. अंश आबंटन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   (आबंटन राशि के देय होने पर)

4. बैंक खाता नाम
   अंश आबंटन खाते से
   (आबंटन राशि के प्राप्त होने पर)

दूसरा विकल्प : जब संचालक सभी आवेदकों को अनुपातिक आबंटन करते हैं (प्रो-राटा आबंटन कहलाता है) आवेदन से प्राप्त अधिक राशि की प्राप्ति सामान्यत: देय आबंटन राशि के साथ समायोजित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में यद्यपि अंशों पर देय आबंटन राशि से अधिक राशि की प्राप्ति को या तो वापिस कर दिया जाएगा या अग्रिम माँग में जमा कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, 20,000 अंशों के लिए आमन्त्रण किऐ और 25,000 अंशों के लिए आवेदन आने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों को अंशों का आबंटन 4 : 5 के अनुपात में किया जाए। यह प्रो-राटा आबंटन की स्थिति कहलाती है और 5,000 अंशों पर प्राप्त अधिक राशि को 20,000 अंशों पर देय आबंटन की राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इस स्थिति में आवेदन और आबंटन की रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी:

1. बैंक खाता नाम
   अंश आवेदन खाते से
   (25,000 अंशों पर – रुपये प्रति आवेदन राशि की प्राप्ति होने पर)

2. अंश आवेदन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   अंश आवेदन खाता
   (आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते में हस्तांतरित करने पर तथा अधिक आवेदन राशि को अंश आबंटन में जमा करने पर)

© NCERT not to be republished

3. अंश आबंटन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   (25,000 अंशों पर आबंटन राशि के देय होने पर)
4. बैंक खाता
   अंश आबंटन खाते से
   (पहले से प्राप्त राशि को समायोजित करने तथा
   आबंटन राशि की प्राप्ति पर)

तीसरा विकल्प: जब कुछ अंशों पर किए गए आवेदन को रदद् किया जाता है और शेष अंशों के लिए अनुपातिक आबंटन किया जाता है, तो रदद् किए गए आवेदनों की पूर्ण राशि को प्राप्ति होने पर जिन आवेदकों को अनुपातिक आबंटन किया गया है, को आबंटन राशि देय होने के साथ समायोजित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, एक कंपनी 10,000 अंशों के आवेदन के लिए आमन्त्रण देती है और 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। संचालकों ने 2,500 अंशों के लिए किए गए आवेदनों को रदद् कर दिया और 10,000 अंशों के लिए अनुपातिक आबंटन लागू किया। जिससे कि शेष 15,500 अंशों के लिए प्रत्येक पांच अंशों के आवेदन के लिए चार अंशों को लागू किया गया। इस स्थिति में 2,500 अंशों के लिए आवेदन को रदद् किया गया और प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा दिया गया, और शेष बचे 2,500 अंशों (12,500 – 10,000) को 10,000 अंशों के लिए देय आबंटन राशि के साथ समायोजिक किया जाएगा और आबंटन की रोजनामचा प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी।

1. बैंक खाता नाम
   अंश आवेदन खाते से
   (15,000 अंशों पर प्राप्त – रुपये प्रति अंश,
   आवेदन राशि की प्राप्ति पर)
2. अंश आवेदन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   अंश आबंटन खाते से
   बैंक खाते से
   (आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते के हस्तांतरित
   करने और आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को अंशों
   के आबंटन के समय अनुपातिक आबंटन पर अंश
   आबंटन, खाते में जमा करने पर)
3. अंश आबंटन खाता नाम
   अंश पूँजी खाते से
   (10,000 अंशों के लिए _ रुपये प्रति अंश आबंटन देय)
4. बैंक खाता नाम
   अंश आबंटन खाते से
   (आवेदन द्वारा पहले से प्राप्त राशि को, आबंटन
   राशि के साथ समायोजित करने पर)

© NCERT not to be republished

उदाहरण 7

जनता पेपर्स लिमिटेड ने 25 रु. प्रत्येक वाले 1,00,000 समता अंशों को जारी करने का आमन्त्रण दिया जिन पर देय राशि इस प्रकार थी:

आवेदन पर	5 रुपये प्रति अंश
आबंटन पर	7.50 रुपये प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के दो महीने बाद देय)	7.50 रुपये प्रति अंश
द्वितीय और अंतिम माँग पर (दो महीने बाद देय)	5 रुपये प्रति अंश

जनवरी 1, 2006 को 4,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किये गए और फरवरी 1, 2006 को आबंटन किया गया।

निम्न परिस्थितियों के अंश पूजी के लेन-देन के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां करें।

1. संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1,00,000 अंशों का आबंटन करने का निर्णय लिया तथा 3,00,000 अंशों को पूर्ण रूप से रद्द् किया गया।
2. संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25 प्रतिशत अनुपातिक आबंटन किया जाए; आवेदन राशि के शेष आबंटन के साथ समायोजित किया जाए; और तत्पश्चात् बचे हुए आवेदनों की राशि को वापिस कर दिया जाए।
3. संचालकों द्वारा 2,00,000 अंशों के लिए किये गए आवेदनों को बिल्कुल रद्द् कर दिया। 80,000 अंशों के लिए पूर्ण आवेदन के सिवाय 20,000 अंशों पर अनुपातिक आबंटन किया गया और आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को आबंटन के साथ समायोजित किया गया तथा माँग को बनाया गया।

हल

जनता पेपर्स लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. स.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
2006 जनवरी 1	बैंक खाता नाम		2,00,000	
	समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर पर 5 रु. प्रति आवेदन राशि की प्राप्ति पर)			2,00,000

© NCERT not to be republished

फरवरी 1	समता अंश आवेदन खाता
	  समता अंश पूँजी खाता
	  बैंक खाते से
	(1,00,000 अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते में हस्तांतरण तथा रदद् किये गए आवेदनों की राशि को वापिस करने पर)
		नाम		20,00,000	
					5,00,000
					15,00,000

फरवरी 1	समता अंश आबंटन खात समता अंश पूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)	नाम		7,50,000	 7,50,000
	बैंक खाता समता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति पर)	नाम		7,50,000	 7,50,000
अप्रैल 1	समता अंश प्रथम माँग खाता अंश पूँजी खाता (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश प्रथम माँग के देय होने पर)	नाम		7,50,000	 7,50,000
जून 1	समता अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता समता अंश पूँजी खाते से (अंतिम माँग के 1,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश देय होने पर)	नाम		5,00,000	 5,00,000
जून 1	बेंक खाता समता अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से (अंतिम माँग की प्राप्ति पर)	नाम		5,00,000	 5,00,000

दूसरा विकल्प

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
2006 फरवरी 1	बैंक खाता समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	20,00,000	 20,00,000

© NCERT not to be republished

फरवरी 1	समता अंश आवेदन खाता
	  समता अंश पूँजी खाते से
	  समता अंश आबंटन खाते से
	  बैंक खाते से
	(अंशों के आबंटन पर आवेदन राशि को अंश पूँजी के हस्तांतरित करने तथा आवेदन से अधिक राशि को आबंटन खाते में जमा करने और अस्विकृत अंशों की राशि को लौटाने पर।)
		नाम		20,00,000	
					5,00,000
					7,50,000
					7,50,000

फरवरी 1	समता अंश आबंटन खाता समता अंश पूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)	नाम		7,50,000	 7,50,000
फरवरी 1	बैंक खाता समता अंश आबंटन खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश आबंटन राशि राशि की प्राप्ति पर)	नाम		7,50,000	 7,50,000

टिप्पणी : दो माँग से सम्बंधित प्रविष्टियां पिछली विधि के समान ही होगी।

तीसरा विकल्प

तिथि	*विवरण*		*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
2006 जनवरी 1	बैंक खाता समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि की प्राप्ति पर)	नाम		20,00,000	 20,00,000

फरवरी 1	समता अंश आवेदन खाता
	  समता अंश पूँजी खाते से
	  समता अंश आबंटन खाते से
	  अग्रिम माँग खाते से
	  बैंक खाते से
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते में हस्तांतरित करने तथा आवेदन से अधिक राशि को आबंटन खाते में जमा करने तथा रदद् किए गए आवेदनों की राशि लौटाने पर)
		नाम		20,00,000	
					5,00,000
					1,50,000
					2,50,000
					11,00,000

© NCERT not to be republished

फरवरी 1	समता अंश आबंटन खाता नाम		7,50,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			7,50,000
	(1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)			
फरवरी 1	बैंक खाता नाम		6,00,000	
	अंश आबंटन खाते से			6,00,000
	(आबंटन राशि की प्राप्ति पर)			
अप्रैल 1	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम		7,50,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			7,50,000
	(1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश प्रथम मांग के देय होने पर)			
अप्रैल 1	बैंक खाता नाम		6,00,000	
	अग्रिम माँग खाता नाम		1,50,000	
	समता अंश प्रथम माँग खाते से			7,50,000
	(अग्रिम माँग राशि को प्रथम माँग के साथ समायोजित करने और शेष राशि को माँग की प्राप्ति हाने पर)			
जून 1	समता अंश द्वितीय और अंतिम खाता नाम		5,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			5,00,000
	(अंतिम माँग के 1,00,000 अंशों, 5 रुपये प्रति अंश देय होने पर)			
जून 1	बैंक खाता नाम		4,00,000	
	अग्रिम माँग खाते से नाम		1,00,000	
	समता अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से			5,00,000
	(अग्रिम माँग राशि को द्वितीय एवं अंतिम माँग में समायोजित करने तथा शेष राशि को माँग की प्राप्ति होने पर)			

टिप्पणी: यथानुपात आबंटन के परिणामस्वरूप अधिक आवेदन राशि के शेष को, आबंटित अंशों के संबंध में आबंटन राशि, और दोनों माँग राशियों के साथ रदद् किए आवेदनों को लौटा दी गई राशि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त रोजनामचा प्रविष्टि 3 प्रर्याप्त हैं।

© NCERT not to be republished

कार्यात्मक टिप्पणी :

	(रु.)	(रु.)
अधिक आवेदन राशि		15,00,000
घटाया हस्तांतरण :		
अंश आबंटन –		
20,000 अंश 7.50 रुपये प्रत्येक	(1,50,000)	
अंश माँग –		
20,000 अंश 12.50 प्रत्येक	(2,50,000)	(4,00,000[1])
लौटाई गई राशि (रदद् किए गए आवेदन सहित)		11,00,000

1.6.4 अंशों का न्यून अभिदान

न्यून अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब अभिदान के लिए आमन्त्रित किये गए अंशों से कम अंशों पर आवेदन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने जनता में अभिदान के लिए 2,00,000 अंशों का आमन्त्रण दिया लेकिन केवल 1,90,000 अंशों के लिए आवेदन निश्चित किया जाएगा और सभी प्रविष्टियां इसके अनुसार की जाएंगी। यद्यपि, जैसे कि पहले बताया गया है, यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कंपनी ने कम से कम अभिदान (आमन्त्रित अंशों का 90 प्रतिशत से कम नहीं, अन्यथा अंश निर्गमन की प्रक्रिया आगे नहीं जारी रहेगी और कंपनी को अभिदान पर प्राप्त समस्त राशि को वापिस लौटाना होगा) प्राप्त कर लिये हैं।

1.6.5 अंशों का अधि-मूल्य पर निर्गमन

वित्तिय रूप से सुदृढ़ और अच्छे प्रबंधकीय नियन्त्रण वाली कंपनियों के लिए यह सामान्य है कि वह अपने अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करे, जैसे कि अंशों के समता मूल्य से अधिक मूल्य पर। जब 100 रुपये की राशि के अंश को 105 रुपये में निर्गमित किया जाता है, तो यह 5% प्रीमियम पर निर्गमित कहलाता है।

जब अंशों का अधिलाभ पर निर्गमन किया जाता है तो तकनीकी रूप से अधिलाभ की राशि को निर्गमन के किसी भी समय मांगा जा सकता है। यद्यपि, सामान्यत: अधिलाभ की राशि को आबंटन के समय मांगा जा सकता है लेकिन कभी-कभी माँग पर भी मांगा जा सकता है। अधिलाभ राशि को एक अलग खाते मेंजो कि "प्रतिभूति अधिलाभ खाता" कहलाता है, में जमा किया जाएगा और कंपनी के स्थिति विवरण में दायित्व पक्ष की ओर "आरक्षित और आधिक्य" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार इसका प्रयोग निम्न चार उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है।

(अ) पूर्ण भुगतान बोनस अंश के निर्गमन पर जो कि इस संदर्भ में जारी न की गई अंश पूँजी से ज्यादा न हो;

(ब) कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करना;

(स) कंपनी के व्ययों को अपलिखित करना, या कमीशन का भुगतान, या अंशों पर बट्टा प्रदान या ऋण पत्रों पर किसी प्रकार के बट्टे को अपलिखित करना; और

© NCERT not to be republished

(द) अधिमान अंशों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कंपनी के ऋणपत्रों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान करना।

अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी;

1. *आवेदन राशि के साथ अधिमूल्य मांगे जाने पर*

(अ) बैंक खाता नाम
अंश पूँजी खाते से
प्रतिभूति प्रीमियम खाते से
(आवेदन राशि की अंश पूँजी तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित करने पर)

2. *जब अधिमूल्य को आबंटन राशि के साथ मांगा जाता है*

(अ) अंश आबंटन खाता नाम
अंश पूँजी खाते से
प्रतिभूति प्रीमियम खाते से
(अंशों पर – रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित आबंटन राशि के देय होने पर)

(अ) बैंक खाता नाम
अंश आबंटन खाते से
(प्रीमियम सहित आवेदन राशि की प्राप्ति होने पर)

उदाहरण 8

ज्यूपीटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक वाले 35,000 अंश 2 रुपये अधिलाभ पर जारी किए जिन पर देय राशियाँ निम्नवत हैं:

आवेदन पर	3 रुपये
आबंटन पर	5 रुपये (अधिलाभ सहित)
शेष प्रथम एवं द्वितीय माँग पर	

अंशों का पूर्ण रूप से अभिदान किया तथा समस्त राशि को प्राप्त किया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।:

© NCERT not to be republished

हल :

ज्यूपीटर लिमिटेड कंपनी की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. स.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		1,05,000	
	समता अंश आवेदन खाते से			1,05,000
	(35,000 अंशों पर पर 3 रु. प्रति अंश आवेदन राशि की प्राप्ति पर)			
	समता अंश आवेदन खाता नाम		1,05,000	
	अंश पूँजी खाते से			1,05,000
	(आबंटन पर आवेदन राशि के अंश पूँजी खाते में हस्तांतरित करने पर)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		1,75,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			1,05,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			70,000
	(35,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश अधिलाभ सहित आबंटन राशि के देय होने पर)			
	बैंक खाता नाम		1,75,000	
	समता अंश आबंटन खाते से			1,75,000
	(अधिलाभ सहित आबंटन राशि की प्राप्ति पर)			
	समता अंश प्रथम एवं अंतिम माँग खाता नाम		1,40,000	
	अंश पूँजी खाते से			1,40,000
	(35,000 अंशों पर 4 रुपये प्रति अंश प्रथम एवं अंतिम माँग देय होने पर)			
	बैंक खाता नाम		1,40,000	
	समता अंश प्रथम एवं अंतिम मांग खाते से			1,40,000
	(प्रथम एवं अंतिम माँग राशि की प्राप्ति पर)			

1.6.6 अंशों का बट्टे पर निर्गमन

कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब कंपनी के अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, जैसा कि अवास्तविक या अंशों के समता मूल्य से कम की राशि पर, अवास्तविक कीमत और निर्गमित कीमत के मध्य अन्तर,

© NCERT not to be republished

अंशों पर बट्टे की राशि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब 100 रुपये की कीमत का कोई अंश 98 रुपये में जारी किया जाता है तो यह अंशों का 2 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा।

एक सामान्य नियम के अनुसार, एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। ऐसा केवल हरण किए गए अंशों के पुन: निर्गमन (जो कि आगामी में आगे बताया जाएगा) और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के अंतर्गत, कर सकती है।

एक कंपनी निम्न स्थितियों को पूर्ण करते हुए अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकती हैं:

(अ) अंशों का बट्टे पर निर्गमन कंपनी की सामान्य सभा में एक विधान द्वारा अधिकृत होने की दशा में और कंपनी कानून बोर्ड जो कि अब केन्द्रीय सरकार है द्वारा अनुमोदित होने पर ही किया जा सकता है।

(ब) एक संकल्प में बट्टे की अधिकतम दर वर्णित होनी चाहिए तथा यह दर अंशों के अंकित मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकती है। बट्टे की दर 10% से अधिक हो सकती है यदि सरकार विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिशत में वृद्धि करने पर सहमत हो।

(स) कंपनी को निर्गम की तिथि पर व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हुए कम से कम एक वर्ष हो चुका है।

(द) केवल उसी प्रकार के अंश बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं, जिनका निर्गमन पहले भी हो चुका है।

(घ) सरकार से अनुमति मिलने के दो महीने के भीतर या बढ़ाया हुआ समय जैसे कि सरकार से अनुमति प्राप्त होने के भीतर इनका निर्गमन हो जाना चाहिए।

(ङ) विवरण-पत्र जारी करने की तिथि को बट्टे की शेष राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है।

पुस्तकों में आबंटन का बट्टे पर निर्गमन होगा, तो बट्टे की राशि को पुस्तकों में आबंटन के समय, बट्टे पर अंशों का निर्गमन खाता नाम करके ले जाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार से की जाएगी:

अंश आबंटन खाता		नाम
अंशों का बट्टे पर निर्गमन खाता		नाम
	अंश पूँजी खाते से	
(– अंशों का आबंटन पर राशि – रुपये प्रति अंश देय तथा निर्गमन पर बट्टे की खतौनी पर)		

'बट्टे पर अंशों का निर्गमन खाता' नाम शेष रखता है जो कि कंपनी को हानि दर्शाता है और यह कंपनी की तुलन पत्र में परिसंपत्ति पक्ष की और 'विविध व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। इसको प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से, यदि कोई हो तो प्रभारित करने के कारण अपलिखित किया जाएगा, तथा इसकी अनुपस्थिति में (5 या 10 वर्षों तक) इसको लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

उदाहरण 9

फाईन आर्ट लिमिटेड ने 10 रु. प्रति अंश के 10,000 अंशों का 10% बट्टे पर जनता के लिए निर्गमित किये जिनको 4 रु. आवेदन पत्र, 3 रु. आबंटन पर, 2 रु. प्रथम और अंतिम माँग पर देय हैं। निर्गमन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और सभी राशि प्राप्त कर ली गई।

कंपनी की पुस्तकों में उपर्युक्त की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

फाईन आर्ट लिमिटेड कंपनी की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		40,000	
	अंश आवेदन खाते से			40,000
	(10,000 अंशों पर पर 4 रु. प्रति अंश आवेदन राशि)			
	अंश आवेदन खाता नाम		40,000	
	अंश पूँजी खाते से			40,000
	(आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण)			
	अंश आबंटन खाता नाम		30,000	
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता नाम		10,000	
	अंश पूँजी खाते से			40,000
	(10,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय तथा 1 रु. प्रति अंश बट्टे की राशि)			
	बैंक खाता नाम		30,000	
	अंश आबंटन खाते से			30,000
	(10,000 अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)			
	अंश प्रथम एवं अंतिम माँग खाता नाम		20,000	
	अंश पूँजी खाते से			20,000
	(10,000 अंशों पर अंतिम माँग 2 रु. प्रति अंश देय)			
	बैंक खाता नाम		20,000	
	अंश प्रथम एवं अंतिम माँग खाते से			20,000
	(10,000 अंशों पर अंतिम माँग राशि प्राप्त)			

© NCERT not to be republished

1.6.7 रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन

जहाँ कंपनी उन विक्रेताओं, जिनसे उसने परिसंपत्तियों क्रय की है, के साथ समझौता करती है कि तो भुगतान के रुप में कंपनी के पूर्ण प्रदत्त अंश लेने के लिए सहमत होते हैं। सामान्यत:, इन अंशों के निर्गमन के लिए किसी प्रकार का रोकड़ नहीं लिया जाता। इन अंशों को सममूल्य पर; अधिलाभ पर या बट्टे पर भी निर्गमित मूल्य जिस पर यह निर्गमित किए जाएंगे और विक्रेताओं को दिये राशि पर निर्भर करती है। इसलिए विक्रेताओं को निर्गमित अंशों की संख्या की गणना इस प्रकार की जाएगी :

$$\text{निर्गमन किये गये अंशों की संख्या} = \frac{\text{देय राशि}}{\text{निर्गमन मूल्य}}$$

उदारण के लिए, राहुल लिमिटेड ने होंडा लिमिटेड से 5,40,000 रु. में भवन का क्रय किया और इसका भुगतान 100 रु. प्रत्येक के अंशों को निर्गमित करके किया जायेगा। विभिन्न स्थितयों में निर्गमन किये गये अंशों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात होगी:

(अ) *जब अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है जो कि* 100 रु. है

$$\text{निर्गमन किए गये अंशों की संख्या} = \frac{\text{देय राशि}}{\text{निर्गमन मूल्य}}$$

$$= \frac{5,40,000 \text{ रु.}}{100 \text{ रु.}}$$

$$= 5,400 \text{ अंश}$$

(ब) *जब अशों को 10% बट्टे पर निर्गमित किया जाता है जो कि 90 रु. (100 रु. – 10रु.)*

$$\text{निर्गमन किए गये अंशों की संख्या} = \frac{\text{देय राशि}}{\text{निर्गमन मूल्य}}$$

$$= \frac{5,40,000 \text{ रु.}}{90 \text{ रु.}}$$

$$= 6,000 \text{ अंश}$$

(स) *जब अशों को 20% अधिमूल्य पर निर्गमित किया जाता है जोकि 120 रु. (100 + 20)*

$$\text{निर्गमन किए गये अंशों की संख्या} = \frac{\text{देय राशि}}{\text{निर्गमन मूल्य}}$$

$$= \frac{5,40,000 \text{ रु.}}{120 \text{ रु.}}$$

$$= 4,500 \text{ अंश}$$

रोकड़ प्रतिफल अतिरिक्त अंशों के निर्गमन की उपर्युक्त स्थिति में रोजनमाचा प्रविष्टियों का अभिलेखन इस प्रकार होगा:

© NCERT not to be republished

राहुल लिमिटेड कंपनी की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	भवन खाता नाम		5,40,000	
	होंडा लिमिटेड खाते से			5,40,000
	(भवन का क्रय)			
(a)	*जब अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया जाता है* नाम		5,40,000	
	होंडा लिमिटेड अंश पूँजी खाते से			5,40,000
	(5,400 अंशों का सममूल्य पर निर्गमन)			
(b)	*जब अंशों का निर्गमन 10% बट्टे पर किया जाता है* नाम		5,40,000	
	निर्गमित अंशों पर बट्टा नाम		60,000	
	अंश पूँजी खाते से			6,00,000
	(6,000 अंशों पर 90 रु. प्रति अंश पर निर्गमन)			
(c)	*होंडा लिमिटेड खाता* नाम		5,40,000	
	अंश पूँजी खाता			4,50,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाते से			90,000
	(4,500 अंशों का 120 रु. प्रति अंश पर निर्गमन)			

उदाहरण 10

जिन्दल एंण्ड कंपनी ने हाई–लाईफ मशीन लिमिटेड से 3,80,000 रु. में एक मशीन का क्रय किया। क्रय समझोते के अनुसार 20,000 रु. का नकद भुगतान और शेष राशि 100 रु. प्रत्येक के अंशों का निर्गमन करके किया जायेगा। क्या प्रविष्टि की जायेगी यदि अंशों का निर्गमन :

(अ) सममूल्य पर

(ब) 10% बट्टे पर

(स) 20% अधिमूल्य पर

हल

अंशों की संख्या की गणना इस प्रकार होगी :

(i) जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हो

$$\frac{3,60,000 \text{ रु.}}{100 \text{ रु.}} = 3,600 \text{ रु.}$$

© NCERT not to be republished

(ii) जब अंशों का निर्गमन बट्टे पर हो

$$\frac{3,60,000 \text{ रु.}}{90 \text{ रु.}} = 4,000 \text{ अंश}$$

(iii) जब अंशों का निर्गमन अधिमूल्य पर हो

$$\frac{3,60,000 \text{ रु.}}{120 \text{ रु.}} = 3,000 \text{ अंश}$$

जिन्दल एण्ड लिमिटेड कंपनी की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. स.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	मशीन खाता नाम		3,80,000	
	बैंक खाता			20,000
	हाई लाईफ मशीन लिमिटेड से			3,60,000
	(मशीन का क्रय और 20,000 रु. का रोकड़ भुगतान, शेष का भुगतान अंशों की निर्गमन द्वारा)			
(a)	*जब अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है*			
	हाई लाईफ मशीन लिमिटेड नाम		3,60,000	
	अंश पूँजी खाते से			3,60,000
	(3,600 अंशों का प्रत्येक 100 रु. पर निर्गमन)			
(b)	*जब अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है*			
	हाई लाईफ मशीन लिमिटेड नाम		3,60,000	
	निर्गमित अंशों पर बट्टा नाम		40,000	
	अंश पूँजी खाते से			4,00,000
	(4,000 अंशों पर 90 रु. प्रति अंश पर निर्गमन)			
(c)	*जब अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित किया जाता है*			
	हाई लाईफ मशीन लिमिटेड नाम		3,60,000	
	अंश पूँजी खाते से			3,00,000
	प्रतिभूति अधिमूलय खाते से			60,000
	(3,000 अंशों का 120 रु. प्रति अंश पर निर्गमन)			

© NCERT not to be republished

स्वयं जांचिये - 2

सही उत्तर का चुनाव करें

(अ) समता अंशधारी हैं:

(i) कंपनी के लेनदार।
(ii) कंपनी के स्वामी।
(iii) कंपनी के ग्राहक।

(ब) अवास्तविक अंश पूँजी है:

(i) कंपनी द्वारा निर्गमित किया गया अधिकृत पूँजी का भाग है:
(ii) पूँजी की राशि जो कि प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है।
(iii) अंश पूँजी की यह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन करने के लिए अधिकृत है।

(स) सारणी 'अ' के अनुसार बकाया माँग पर ब्याज को प्रभार किया जाएगा:

(i) 5%
(ii) 6%
(iii) 8%
(iv) 11%

(द) संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व, अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि को:

(i) अग्रिम माँग खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है।
(ii) अग्रिम माँग खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है।
(iii) माँग खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाता है।

(य) अंशों का हरण किया जा सकता हैं:

(i) माँग राशि के भुगतान न करने पर
(ii) सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में
(iii) बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में
(iv) प्रतिभूति के रूप में अंशों के बन्धक होने पर

(र) हरण किए गए अंशों को पुन निर्गमित करने के पश्चात् अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाएगा:

(i) सामान्य आरक्षित (रिर्जव) में
(ii) पूँजी शोधन आरक्षित (रिर्जव) में
(iii) पूँजी आरक्षित (रिर्जव) में
(iv) आगम आरक्षित (रिर्जव) में

© NCERT not to be republished

1.7 अंशों का हरण

ऐसा हो सकता है कि कुछ अंश धारक एक या अधिक किश्तों अर्थात आबंटन राशि या माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहें। इस परिस्थिति में कंपनी अंतर्नियमा में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार इन अंशों का हरण जैसे कि आबंटन को रदद् करके और प्राप्त राशि को जब्त करके, कर सकती है। सामान्यत: यह प्रावधान सारणी अ के नियम 29 से 35 पर आधारित होते हैं जो कि निदेशकों को माँग राशि का भुगतान न होने पर अंशों को हरण करने का अधिकार देते हैं इस उद्देश्य के लिए इस संबंध में दी गई प्रक्रिया का बड़ी सख्ती से पालन करना होगा।

जब अंशों का हरण किया जाता है तो हरण से संबंधित सभी प्रविष्टियां, अधिलाभ के अतिरिक्त, जो कि लेखों में पहले से ही प्रलेखित की जा चुकी हैं, की विपरीत प्रविष्टी की जाएगी। इसके अनुसार अंश पूँजी खाते को हरण किये गए अंशों के संबंध में मांगी गई राशि से नाम किया जाएगा और जमा करेंगे (1) इस संबंध के भुगतान किया गया माँग खाता या बकाया माँग खाता, न भुगतान की गई राशि जैसे भी स्थिति हो से, और (2) अंश हरण खाते में पहले से प्राप्त राशि से।

अत: रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी :

अंश पूँजी खाता नाम
अंश हरण खाते से
अंश आबंटन खाते से
अंश माँग खाते से (व्यक्तिगत)
(......... अंशों का हरण, आबंटन और माँग राशि के प्राप्त नहीं होने पर)

टिप्पणी: यदि कंपनी द्वारा माँग की बकाया राशि का खाता रखा जा रहा है तो उपर्युक्त प्रविष्टि से अंश आबंटन और/या "अंश माँग या मांगें" खाता के बजाय माँग की बकाया राशि का खाता जमा होगा।

अंश हरण खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमित करने तक तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में "अंश पूँजी के शीर्षक के अंतर्गत कुल चुकता पूँजी के अतिरिक्त दर्शायी जाएगी।

उदाहरण 11

होंडा लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 10,000 समता अंशों का निर्गमन किया। जो इस प्रकार देय थे: आवेदन पर 25 रु.; आबंटन पर 30 रु.; प्रथम माँग पर 20 रु. और द्वितीय और अंतिम माँग पर 30 रु.। 10,000 अंशों के लिए आवेदन और आबंटन हुआ। सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर देय दोनों मांगों को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हुई। इन अंशों का हरण किया गया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

© NCERT not to be republished

हल :

होण्डा लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
	बैंक खाता नाम		2,00,000	
	अंश आवेदन खाते से			2,00,000
	(10,000 अंशों पर पर 25 रु. प्रति अंश की दर पर आवेदन राशि)			
	अंश आवेदन खाता नाम		2,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			2,00,000
	(आवेदन राशि को अंश पूँजी में हस्तांतरित)			
	अंश आबंटन खाता नाम		3,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			3,00,000
	(10,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		3,00,000	
	अंश आबंटन खाते से			3,00,000
	(10,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश के दर से प्राप्त आबंटन राशि)			
	अंश प्रथम माँग खाता नाम		2,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			2,00,000
	(10,000 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		1,94,000	
	अंश प्रथम माँग खाते से			1,94,000
	(300 अंशों पर छोड़कर प्रथम माँग राशि प्राप्त होने पर)			
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाता नाम		3,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			3,00,000
	(द्वितीय और अंतिम माँग राशि 10,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश की दर से देय होने पर)			
	बैंक खाता नाम		2,91,000	
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से			2,91,000
	(300 अंशों के अतिरिक्त द्वितीय और अंतिम मांग राशि के प्राप्त होने पर)			
	अंश पूँजी खाता नाम		30,000	
	अंश प्रथम माँग खाते से			6,000
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से			9,000
	अंश हरण खाते से			15,000
	(300 अंशों को हरण करने पर)			

© NCERT not to be republished

अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण : जब अंशों को अधिलाभ पर निर्गमित किया जाता है और अधिलाभ राशि को पूर्ण रूप से वसूली कर ली जाती है, तथा बाद में कुछ अंशों का मांगी गई राशि के भुगतान न होने के कारण हरण कर लिया जाता है तो जब्त अंशों का लेखांकन व्यवहार, सममूल्य पर निर्गमित अंशों की तरह ही होगा। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंश अधिलाभ खाते को, हरण के समय नाम नहीं किया जाएगा, यदि हरण किये गए अंशों के संबंध में अधिलाभ को प्राप्त कर लिया गया है।

इस स्थिति में यदि अधिलाभ राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया है तो हरण किए गए अंशों के संबंध में, अंश अधिलाभ खाते को भी अप्राप्त अधिलाभ राशि और अंश पूँजी खाते को अंशों के हरण के समय नाम किया जाएगा। आमतौर पर यह स्थिति आबंटन के समय देय राशि के प्राप्त न होने पर उत्पन्न होती है। अत: हरण किये गए अंशों को अधिलाभ पर निर्गमित; जिन पर अधिलाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है को प्रलेखित करने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि होगी:

अंश पूँजी खाता	नाम
प्रतिभूति अधिमूल्य खाता	नाम
अंश हरण खाते से	
अंश आबंटन खाते से	
और/या	
अंश माँग खाते से (व्यक्तिगत)	
(..... आबंटन और माँग राशि का भुगतान न होने पर अंशों का हरण)	

टिप्पणी:- जहां बकाया माँग खाता बनाया जाता है तो, बकाया माँग खाते को जमा करेंगे; अंश आबंटन या/अंश माँग या/माँग खाते को नहीं।

उदाहरण 12

सुशील, जिसके पास 120 रु. (अंश मूल्य 100 रु.) प्रत्येक के 1000 अंश हैं; ने द्वितीय एवं अंतिम माँग, जो कि 20 रु. प्रति अंश है, का भुगतान नहीं किया । कंपनी द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया गया। आवश्यक रोजनामचा पविष्टयाँ करें।

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
	अंश पूंजी खाता नाम		1,00,000	
	द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से			20,000
	अंश हरण खाते से			80,000
	(द्वितीय एवं अंतिम माँग का भुगतान न होने पर 1000 अंशों का हरण)			

उदाहरण 13

सुनयना, जिसके पास 10 रु. प्रत्येक के 500 अंश हैं उसने आबंटन राशि 4 रु. प्रति अंश (2 रु. अधिमूल्य सहित) और 3 रु. की प्रथम और अंतिम माँग राशि का भुगतान नहीं किया। उसके अंशों को प्रथम और अंतिम माँग के बाद हरण कर लिया गया। अंशों का हरण करने की रोजनामचा प्रविष्टि करें।

© NCERT not to be republished

हल

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	अंश पूँजी खाता नाम		5,000	
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता नाम		1,000	
	अंश आबंटन खाते से			2,000
	अंश प्रथम और अंतिम माँग खाते से			1,500
	अंश हरण खाते से			2,500
	(500 अंशों का प्रथम और अंतिम माँग का भुगतान न करने पर हरण)			

बटटे पर निर्गमित अंशों का हरण : जब हरण किये गए अंशों को वास्तव में बटटे पर निर्गमित किया जाता है, तो इन अंशों पर लागू बट्टे की राशि को रदद् या अपलिखित किया जाएगा। इस लिए हरण के समय अंशों पर बट्टे खाते को जमा करेंगे। बट्टे पर निर्गमित अंश खाता; अंश पूँजी खाते के पूर्व भाग के शेष से संबंध रखता है। अंत: हरण की रोजनामचा प्रविष्टि अभिलेखित होगी:

अंश पूँजी खाता नाम
  अंश हरण खाते से
  अंश के निर्गमन पर व्यय खाते से
  अंश आबंटन खाते से
  अंश माँग खाते से
    अथवा
  माँग बकाया राशि के खाते से
(..... अंशों का हरण, आबंटन और माँग की राशि का भुगतान न करने पर)

उदाहरण 14

मदान लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक वाले 20,000 अंश 10% बट्टे पर निर्गमित करने के लिये आवेदन पर 25 रु.; आबंटन पर 25 रु.; प्रथम माँग पर 25 रु. और द्वितीय और अंतिम माँग पर 15 रु. आमंत्रित किये। रीतू जिसने 1,000 अंशों के लिए आवेदन किया और 600 अंशों का आबंटन किया गया और अधिक आवेदन राशि को आबंटित अंशों पर आवेदन राशि में समायोजित किया जायेगा। इन अंशों का हरण प्रथम माँग के पश्चात किया गया। हरण के व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टि करें यदि वह भुगतान करने में असमर्थ होगी:

1. आबंटन और प्रथम माँग राशि; और
2. केवल प्रथम मांग

© NCERT not to be republished

हल

मदान लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	अंश पूँजी खाता नाम		51,000	
	अंश के निर्गमन पर बट्टा खाते से			6,000
	अंश आबंटन खाते से			5,000
	अंश प्रथम माँग खाते से			15,000
	अंश हरण खाते से			25,000
	(600 अंशों का हरण, प्रथम माँग के पश्चात, आबंटन और प्रथम माँग राशि का भुगतान न करने पर)			

टिप्पणी: आबंटन पर 15,000 रु. राशि प्राप्य है जबकि 10,000 रु. की अधिक प्राप्त आवेदन राशि 10,000 रु. को आबंटन खाते में समायोजित करने के पश्चात केवल 5,000 रु. की आबंटन राशि देय हैं।

2. जब केवल प्रथम माँग राशि का भुगतान न किया गया हो।

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	अंश पूँजी खाता नाम		51,000	
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाते से			6,000
	अंश प्रथम माँग खाते से			15,000
	अंश हरण खाते से			30,000
	(प्रथम माँग के पश्चात 600 अंशों का हरण, प्रथम माँग राशि का भुगतान न करने पर)			

उदाहरण 15

अशोक लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 3,00,000 समता अंशों को 2 रु. प्रति अंश के अधिलाभ पर जारी किया। आवेदन पर 3 रु. आबंटन पर 5 रु. (अधिमूल्य सहित) और शेष राशि दो माँगों पर देय है।

4,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सब आवेदनों पर आनुपातिक आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आबंटन पर देय राशि में समायोजित की गई श्री मुकेश, जिन्हें 800 अंश आबंटित किए गए, दोनों माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे और उनके अंशों का हरण द्वितीय माँग के पश्चात किया गया।

© NCERT not to be republished

अशोक लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियों का अभिलेखन करें और तुलन पत्र में भी दर्शाये।

हल

अशोक लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		12,00,000	
	समता अंश आवेदन खाते से			12,00,000
	(4,00,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त)			
	समता अंश आवेदन खाता नाम		12,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			9,00,000
	समता अंश आबंटन खाते से			3,00,00
	(3,00,000 अंशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण और अतिरिक्त राशि का अंश आबंटन खाते में समायोजन)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		1,50,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			9,00,000
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाते से			6,00,000
	(3,00,000 अंशों पर आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		12,00,000	
	समता अंश आबंटन खाते से			12,00,000
	(आवेदन पर अतिरिक्त राशि के समायोजन के पश्चात अंशों पर आबंटन राशि प्राप्त)			
	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम		6,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			6,00,000
	(3,00,000 अंशों पर प्रथम माँग राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		5,98,400	
	माँग बकाया राशि खाता नाम		1,600	
	समता अंश प्रथम माँग खाते			6,00,000
	(2,99,200 अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)			

© NCERT not to be republished

	समता अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाता समता अंश पूँजी खाते से (द्वितीय माँग राशि देय)	नाम		6,00,000	 6,00,000
	बैंक खाता बकाया माँग खाता समता अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से (2,99,200 अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)	नाम नाम		5,98,400 1,600	 6,00,000

	समता अंश पूँजी खाता
	  अंश हरण खाते से
	  माँग खाते से
	(800 अंशों का हरण)
		नाम		8,000	
					4,800
					3,200

..... को अशोक लिमिटेड का तुलन पत्र

दायित्व	*राशि*	*परिसंपत्तियाँ*	*राशि*
अंश पूँजी	29,92,000	बैंक	35,96,800
प्रतिभूति अधिमूल्य	6,00,000		
अंश हरण	4,800		
	35,96,800		**35,96,800**

उदाहरण 16

हाई लाईट इंडिया लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 30,000 अंशों को 20 रु. प्रति अंश अधिमूल्य के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जो निम्न प्रकार देय हैं:

	रु.
आवेदन पर	40 (10 रु. अधिमूल्य सहित)
आबंटन पर	30 (10 रु. अधिमूल्य सहित)
प्रथम माँग पर	30
द्वितीय और अंतिम माँग पर	20

40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 35,000 अंशों के आवेदकों को अंशों का अनुपातिक आबंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि को आबंटन खाते में उपयोग किया गया।

रोहन, जिसको 600 अंशों का आबंटन हुआ था आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहा और उसके अंशों का आबंटन के पश्चात हरण कर लिया गया।

अमन जिसने 1050 अंशों के लिए आवेदन किया था प्रथम माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहा और उसके अंशों का प्रथम माँग के पश्चात हरण कर लिया गया।

द्वितीय और अंतिम माँग मांगी गई और द्वितीय माँग पर देय सभी राशि प्राप्त हुई।

© NCERT not to be republished

हरण किए गए अंशों में से 1,000 अंशों को 80 रु. प्रति अंश के पूर्ण भुगतान पर पुन: निगर्मित किया गया। जिसमें अमन के सारे अंश शामिल है।

हाई लाईट लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल :

अशोक लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		16,00,000	
	अंश आवेदन खाते से			16,00,000
	(40,000 अंशों पर आवेदन राशि)			
	अंश आवेदन खाता नाम		14,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			9,00,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			3,00,000
	अंश आवेदन खाते से			2,00,000
	(आवेदन राशि का अंश पूँजी खाते, प्रतिभूति अधिमूल्य खाता और अतिरिक्त राशि का अंश आबंटन खाते में हस्तांतरण)			
	अंश आबंटन खाता नाम		9,00,000	
	अंश पूँजी खाते से			6,00,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			3,00,000
	(आबंटन पर देय राशि)			
	अंश आवेदन खाता नाम		2,00,000	
	बैंक खाते से			2,00,000
	(500 अंशों की धनराशि वापस)			
	बैंक खाता नाम		6,86,000	
	अंश आबंटन खाते से			6,86,000
	(आबंटन पर प्राप्त राशि)			
	अंश पूँजी खाता नाम		30,000	
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता नाम		12,000	
	अंश आबंटन खाते से			14,000
	अंश हरण खाते से			28,000
	(रोहन के 600 अंशों का हरण आबंटन राशि के प्राप्त न होने पर)			

© NCERT not to be republished

	अंश प्रथम माँग खाता	नाम		8,82,000	
	अंश पूँजी खाते से				8,82,000
	(29,400 अंशों पर प्रथम माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		8,55,000	
	अंश प्रथम माँग खाते से				8,55,000
	(28,500 अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)				
	अंश पूँजी खाता	नाम		72,000	
	अंश प्रथम माँग खाते से				27,000
	अंश हरण खाते से				45,000
	(अमन के 900 अंशों का हरण)				
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाता	नाम		5,70,000	
	अंश पूँजी खाते से				5,70,000
	(28,500 अंशों पर द्वितीय और अंतिम माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		5,70,000	
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से				5,70,000
	(देय राशि प्राप्त)				
	बैंक खाता	नाम		80,000	
	अंश हरण खाते से	नाम		20,000	
	अंश पूँजी खाते से				1,00,000
	(1,000 हरण अंशों का पुनर्निर्गमन)				
	अंश हरण खाता	नाम		29,666	
	पूँजी आरक्षित खाते से				29,666
	(1,000 अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ का पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरण)				

कार्यकारी टिप्पणी :

(I) रोहन के आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि

रोहन के आबंटित 600 अंश

उसने आवेदन किया $\frac{35,000 \text{ रु.}}{30,000 \text{ रु.}} \times 600 = 700$ अंश

		रु.
रोहन से प्राप्त राशि	= 700 × 40 रु.	28,000
आवेदन पर समायोजित राशि	= 600 × 40 रु.	(24,000)
आबंटन पर समायोजित राशि		**4,000**

© NCERT not to be republished

	आबंटन पर देय राशि	= 600 × 30 रु.	18,000
	समायोजित राशि		(4,000)
	आबंटन पर देय शेष राशि		**14,000**
(II)	**आबंटन पर प्राप्त राशि**		
	आबंटन पर कुल देय राशि	= 30,000 रु. × 30 रु.	= 9,00,000
	आवेदन पर प्राप्त राशि		(2,00,000)
			7,00,000
	रोहन के अंशों पर प्राप्त राशि		(14,000)
	आबंटन पर प्राप्त राशि		**6,86,000**
(III)	**29,400 अंशों पर प्रथम माँग राशि देय**		
		29,400 × 30 रु. =	8,82,000
	900 अंशों पर प्रथम माँग राशि देय	900 × 30 रु.	(27,000)
			8,55,000

(IV) 1,000 अंशों का पुनः निर्गमन, अमन के 900 अंश और शेष 100 अंश रोहन के सहित

		रु.
100 अंशों पर लाभ = $\frac{28,000}{600} \times 100$	=	4,666
900 अंशों पर लाभ	=	45,000
		49,666
घटाया: 1,000 अंशों के निर्गमन पर हानि		(20,000)
		29,666

(V) अंश हरण खाते में 500 अंशों का शेष

$\frac{28,000}{600} \times 500$ रु. = 23,334 रु.

स्वयं करें

1. एक कंपनी ने 10 रु. प्रत्येक के 100 समता अंशों जो 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए 5 रु. की अंतिम माँग राशि के भुगतान न करने पर हरण किया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्ट दें।
2. एक कंपनी ने 10 रु. प्रत्येक के 800 समता अंशों, जिनको 10% बट्टे पर निर्गमित किया गया था प्रत्येक 2 रु. के दो माँग का भुगतान प्राप्त न हाने पर हरण किया। कंपनी द्वारा हरण कि गई राशि की गणना करें और अंशों का हरण करने की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

© NCERT not to be republished

उदाहरण 17

एक्स लिमिटेड ने 10 रु. प्रति अंश के 40,000 समता अंशों को 2 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर सार्वजनिक अभिदान हेतु निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमन किया:

आवेदन पर	4 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	5 रु. प्रति अंश (अधिमूल्य शामिल है)
माँग पर	3 रु. प्रति अंश

60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 48,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक आबंटन किया गया, शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आबंटन पर देय राशि के प्रति समायोजित की गई।

श्री चिटनिस, जिन्हें 1,600 अंश आबंटित किए गए, आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहे और श्री जगदले, जिन्हें 2,000 अंशों का आबंटन किया गया, माँग राशि का भुगतान न कर सके। इन अंशों का हरण कर लिया गया।

उपर्युक्त लेनदेन का कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

अशोक लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		2,40,000	
	समता अंश आवेदन खाते से			2,40,000
	(60,000 अंशों पर आवेदन राशि)			
	समता अंश आवेदन खाता नाम		2,40,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			1,60,000
	समता अंश आबंटन खाते से			32,000
	बैंक खाते से			48,000
	(आवेदन राशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण, अतिरिक्त आवेदन राशि का अंश आबंटन खाते में समायोजन, और अस्वीकृत आवेदन राशि की वापसी)			
	समता अंश आबंटन खाता नाम		2,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			1,20,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			80,000
	(40,000 अंशों पर 6 रु. अधिलाभ सहित प्रति अंश की दर से आबंटन राशि देय)			

© NCERT not to be republished

	बैंक खाता	नाम		1,61,280	
	बकाया माँग आबंटन खाता	नाम		6,720	
	समता अंश आबंटन खाते से				1,68,000
	(अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)				
	समता अंश माँग खाता	नाम		1,20,000	
	समता अंश पूँजी खाते से				1,20,000
	(40,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से प्रथम माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		1,09,200	
	बकाया माँग खाता	नाम		10,800	
	समता अंश माँग खाते से				1,20,000
	(अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)				
	समता अंश पूँजी खाता	नाम		36,000	
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता	नाम		3,200	
	अंश हरण खाते से				21,680
	बकाया माँग खाते से				17,520
	(3,600 अंशों का हरण)				

कार्यकारी टिप्पणी :

I. आबंटन पर प्राप्त राशि

(क)	आबंटन पर देय राशि	रु.
	(40,000 अंश पर प्रति अंश 5 रु.)	2,00,000
(ख)	आबंटन पर वास्तविक देय राशि	2,00,000
	घटाया:अधिक आवेदन राशि	(32,000)
	आबंटन पर देय राशि	1,68,000
(ग)		
	चिटनिस के अंशों पर देय आबंटन राशि	
	1600 अंश × 5 रु. प्रति अंश	8.000
	घटाया : आनुपातिक वितरण के कारण प्राप्त अतिरिक्त आवेदन राशि	
	(1920 अंश – 1600 अंश) × 4	(1,280)
	श्री चिटनिस से देय आबंटन राशि	6,720

1,600 अंशों के आबंटन के लिए आनुपातिक वितरण के अनुपात के अनुसार (40,000 : 48,000 अंश) चिटनिस ने 1,920 अंशों के लिए (1,600 अंश × 6/5) आवेदन होगा।

© NCERT not to be republished

(घ)	आबंटन पर प्राप्त राशि :	
	आबंटन पर वास्तविक देय राशि	1,68,000
	घटाया : चिटनिस द्वारा भुगतान न की गई राशि प्राप्त राशि	(6,720)
	प्राप्त राशि	1,61,280

II. हरण किए गए अंश खाते का शेष

चिटनिस द्वारा दी गई राशि	
1,920 अंशों के आवेदन × 4 रु. प्रति अंश	7,680
जगदले द्वारा दी गई राशि	14,000
2,000 अंश × (2 + 3) रु.	
कुल राशि	21,680

टिप्पणी: जगदले के अंशों पर अधिलाभ को लेखे में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह कंपनी द्वारा पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया है।

1.7.1 हरण किये गए अंशों का पुन: निर्गमन

संचालक हरण किए गए अंशों को रद्द या पुन: निर्गमित कर सकते हैं। अधिकतर स्थितियों में हालांकि, वह विशिष्ट अंशों को जो कि सममूल्य; अधिलाभ; या बट्टे पर पुन: निर्गमित कर सकते हैं, सामान्यत: हरण किए गए अंशों का निर्गम पूर्ण भुगतान प्राप्त या बट्टे पर किया जाता है। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि बट्टा की राशि, हरण किये गए अंशों के वास्तविक निर्गमन की राशि से अधिक नहीं होगी और हरण किये गए अंशों के पुन: निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते में नाम किया जाएगा और यदि अंश हरण खाते में कोई शेष हो तो इसे पूँजीगत लाभ माना जाएगा और इसे पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी 10 प्रत्येक के 200 अंशों का हरण करती है जिस पर 600 रु. प्राप्त है, इन अंशों के पुन: निर्गमन पर अधिकतम 600 रु. का बट्टा दिया जा सकता है मानलें कि कंपनी ने इन अंशों का पुन: निर्गमन 1800 रु. में पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया जायेगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार होगी।

बैंक खाता	नाम	1800		
अंश हरण खाता	नाम	200		
अंश पूँजी खाते से				2000
(200 हरण किये गये अंशों का पुन: निर्गमन 9 रु. प्रति अंश के पूर्ण भुगतान पर)				
अंश हरण खाता	नाम	400		
पूँजी आरक्षित खाते से				400
(हरण किये गये अंशों पर लाभ का हस्तांतरण)				

© NCERT not to be republished

इस संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पूँजीगत लाभ केवल हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर ही उत्पन्न होता है, सभी हरण किए गए अंशों पर नहीं। इसलिए जब हरण किए गए अंशों का कोई माँग पुनः निर्गमित किया जाता है तो अंश हरण खाते की सम्पूर्ण राशि को पूँजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की स्थिति में हरण किये गए अंशों के पुनः निर्गमन से संबंधित आनुपतिक शेष को पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित किया जाएगा) यह निश्चित करते हुए कि अंश हरन खाते का बचा हुआ शेष, हरण किये गए अंशों जो कि अभी जारी नहीं किए गए हैं की राशि के बराबर होगी।

उदाहरण 18

पोली प्लास्टिक लिमिटेड के संचालकों ने 100 रु. प्रत्येक के 200 समता अंशों को द्वितीय और अंतिम माँग का भुगतान न होने पर जब्त करने का निर्णय लिया। इन अंशों में से 150 अंश मोहित को 60 रु. प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किये गये।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

पोली प्लासटीक लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	अंश पूँजी खात नाम		20,000	
	अंश हरण खाते से			14,000
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से			6,000
	(200 अंशों का द्वितीय और अंतिम माँग 30 रु. प्रति अंश भुगतान न हाने पर हरण)			
	बैंक खाता नाम		9,000	
	अंश हरण खाता नाम		6,000	
	अंश पूँजी खाते से			15,000
	(100 रु. प्रत्येक के 150 अंशों का 60 रु. प्रत्येक पूर्ण भुगतान पर पुनः निर्गमन)			
	अंश हरण खाता नाम		4,500	
	पूँजी आरक्षित खाते से			4,500
	(150 पुनः निर्गमित अंशों पर लाभ का पूँजी आरक्षित में हस्तांतरण)			

© NCERT not to be republished

कार्यकारी टिप्पणी :

		रु.
200 अंशों पर हरण की गई कुल राशि	=	14,000 (200 × 70 रु.)
150 अंशों पर हरण की राशि	=	10,500 (150 × 70 रु.)
50 अंशों पर हरण की राशि	=	3,500 (50 × 70 रु.)
150 अंशों पर हरण की राशि	=	6,000 (150 × 40 रु.)
अंशों के पुन निर्गमन पर लाभ को पूँजी आरक्षित में हस्तांतरण की राशि।	=	4,500 (10,500 रु.– 6,000 रु.)
अंश हरण खाते में रह गया शेष	=	4,500 (14,000 रु. – 6,000 रु. – 3500 रु.)

उदाहरण 19

जनवरी 1, 2002 को एक्स लिमिटेड के संचालाकों ने 50,000 अंशों को 10 रु. प्रति अंश के मूल्य के अंशों को प्रति अंश 12 रु. पर जनता को क्रय करने के लिए जारी किए, जो इस प्रकार देय हैं:

आवेदन पर 5 रुपए (प्रीमियम सहित), आबंटन पर 4 रुपए और शेष एक मई, 2002 को।

10 फरवरी, 2002 को अभिदान सूची बंद कर दी गई, इन दिन तक 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में से 40,000 रु. वापस कर दिए गए और 60,000 रु. आबंटन पर देय राशि के साथ समायोजन हेतु रख दिये, जिसको शेष रकम 16 फरवरी, 2002 को भुगतान कर दी गई।

सिवाय 500 अंशों के आबंटियों के सभी अंशधारकों ने एक मई, 2002 को देय माँग राशि का भुगतान कर दिया।

इन अंशों को 29 सितंबर, 2002 को जब्त कर लिया गया और 1 नवंबर, 2002 को प्रति अंश 8 रु. पर पूर्ण प्रदत्त्स मानते हुए पुनः निर्गमन किया गया।

कंपनी नीति के अनुसार कंपनी माँग की बकाया राशि का खाता नहीं रखती।

कंपनी की बहियों में अंश पूँजी लेनदेन रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

एक्स लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि 2002	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
फर. 10	बैंक खाता नाम		3,50,000	
	समता अंश आवेदन व आबंटन खाते से (70,000 अंशों पर 5 रु. प्रति अंश की दर से प्राप्त आवेदन राशि)			3,50,000

© NCERT not to be republished

फर. 16	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम
	  समता अंश पूँजी खाते से
	  अंश अधिलाभ खाते से
	(आबंटन 50,000 अंशों पर आवेदन राशि का अंश पूँजी व अधिलाभ खाते में हस्तांतरण)
			2,50,000	
				1,50,000
				1,00,000

फर. 16	समता अंश आवेदन व आबंटन खाता नाम समता अंश पूँजी खाते से (प्रति अंश 4 रु. की दर से 50,000 अंशों के आबंटन पर देय राशि)		2,00,000	 2,00,000
फर. 16	समता अंश आवेदन खाता नाम बैंक खाते से (अस्वीकृत आवेदन की धनराशि वापस)		40,000	 40,000

फर. 16	बैंक खाता नाम
	  समता अंश आवेदन व आबंटन खाते से
	  समता अंश अबटन खाते से
	(आबंटन राशि प्राप्त)
			1,00,000	
				1,40,000
				60,000

मई 1	बैंक खाता नाम प्रथम व अंतिम माँग खाते से (प्रथम माँग राशि प्राप्त)		1,50,000	 1,50,000
मई 1	बैंक खाता नाम प्रथम व अंतिम माँग खाते से (150 पुनः निर्गमित अंशों पर लाभ का पूँजी		1,48,500	 1,48,500

सित. 29	समता अंश पूँजी खाता नाम
	  अंश हरण खाते से
	  समता अंश प्रथम व अंतिम मांग खाते से
	(माँग राशि भुगतान न करने पर 500 अंशों का हरण)
			5,000	
				3,500
				1,500

नव. 1	बैंक खाता नाम अंश हरण खाता नाम समता अंश पूँजी खाते से (प्रति अंश 8 रु. पर पूर्ण प्रदत्त की तरह 5,000 हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन)		4,000 1,000	 5,000
नव. 1	अंश हरण खाता नाम पूँजी आरक्षित खाते से (हरण किए गए अंशों की बकाया रकम पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित)		2,500	 2,500

© NCERT not to be republished

उदाहरण 20

एक लिमिटेड कंपनी ने प्रत्येक 10 रु. के 1,000 समता अंश, जो 10 प्रतिशत बट्टे पर जारी किए गए थे, हरण कर लिए, क्योंकि प्रत्येक अंश पर 2 रु. की दर से प्रथम माँग राशि और 3 रु. की दर से द्वितीय माँग राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ये अंश पूर्ण प्रदत्त अंश मानते हुए "क" को 7,000 रुपए की रकम देने पर पुन: जारी किए गए। कंपनी माँग की बकाया राशि का खाता रखती है।

1,000 अंशों के जब्त करने और उनके पुन: निर्गमन से संबंधित कंपनी की बहियों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

हल

लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	समता अंश पूँजी खाता नाम		10,000	
	अंश हरण खाते से			4,000
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाते से			1,000
	बकाया अंश माँग खाते से			5,000
	(1,000 अंशों का माँग पर देय राशि का भुगतान नहीं करने के कारण जब्तीकरण तथा आबंटन पर दिए गए बट्टे को उपलिखित किया गया)			
	बैंक खाता नाम		7,000	
	अंशों के निर्गमन पर बट्टा खाता नाम		1,000	
	अंश हरण खाता नाम		2,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			10,000
	(अहरण किए गए 1,000 अंशों को पूर्णदत्त अंशों के रूप में 7 रु. प्रति अंश पुन: जारी किया गया, बट्टे को उपलिखित करने के पश्चात् शेष राशि अंश हरण खाते में नाम किया गया)			
	अंश हरण खाता नाम		2,000	
	पूँजी आरक्षित खाते से			2,000
	(अंश हरण खाते को बंद किया गया)			

उदाहरण 21

ओ लिमिटेड ने 10 रु. प्रति 2,00,000 समता अंश 2 रु. के अधिलाभ पर प्रस्तावित करते हुए विवरण-पत्र जारी किया। यह इस प्रकार देय थे :

© NCERT not to be republished

आवेदन पर	प्रति अंश 2.50 रु.
आबंटन पर	प्रति अंश 4.50 रु. (अधिमूल्य सहित)
प्रथम माँग पर (आबंटन के 3 महीने बाद)	प्रति अंश 2.50 रु.
द्वितीय माँग पर (प्रथम माँग के 3 महीने के बाद)	प्रति अंश 2.50 रु.

23 अप्रैल, 2002 को 3,17,000 अंशों के क्रय के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 30 अप्रैल को निम्न प्रकार से आबंटन किया गया :

1. पूर्ण आबंटन (दो आवेदकों ने, जिन में से प्रत्येक ने 4,000 अंशों के रुपए आवेदन संबंध में किया था, आबंटन पर पूर्ण राशि का भुगतान किया) 38,000 रु.
2. प्रत्येक 3 अंशों के आवेदन पर 2 अंशों का आबंटन किया 1,60,000 रु.
3. प्रत्येक 4 अंशों के आवेदन पर 1 अंश का आबंटन किया 2,000 रु.

77,500 रु. की नकद राशि (3,100 अंशों के लिए आवेदन पत्र के साथ प्राप्त आवेदन शुल्क राशि जिस पर कोई आबंटन नहीं किया) आवेदकों को वापस 6 मई, 2002 कर दी गई।

100 अंशों पर अंतिम माँग राशि को छोड़कर बाकी सभी आबंटियों से माँग राशि देय तिथि पर प्राप्त की गई। इन अंशों को 15 नवंबर, 2002 का हरण कर लिया गया और 16 नवंबर को 9 रु. प्रति अंश पर 'अ' को पुनः निर्गमित किया गया।

ओ लिमिटेड की बहियों में नकद के अलावा अन्य से संबंधित रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए और यह भी बताइए जब कंपनी ने 31 अक्तूबर, 2002 से देय ब्याज नकद में भुगतान किया है, तो इसे तुलन पत्र में किस प्रकार दर्शाया जाएगा।

हल

ओ लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि 2002	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
अप्रैल 30	समता अंश आवेदन खाता नाम		7,15,000	
	समता अंश पूँजी खाते से			5,00,000
	समता अंश आबंटन खाते से			1,95,000
	अग्रिम माँग खाते से			40,000
	(आबंटन अग्रिम राशि के बाद आवेदन धनराशि का अंश पूँजी में हस्तांतरण और आनुपातिक आबंटन के कारण 86,000 अंशों पर आधिक्य आवेदन पत्र रकम अंश आबंटन खाते में जमा)			

© NCERT not to be republished

अप्रैल 30	समता अंश आबंटन खाता	नाम		9,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से				5.00,000
	समता अंश अधिमूल्य खाते से				4.00,000
	(अधिलाभ सहित प्रति अंश 3 रु. के 2,00,000 रु. अंशों पर देय आबंटन राशि)				
जुलाई 31	समता अंश का प्रिमियम माँग खाता	नाम		5,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से				5,00,000
	(प्रति अंश 4 रु. के 2,00,000 अंशों पर देय प्रथम माँग राशि)				
	अग्रिम माँग खाता	नाम		20,000	
	समता अंश का प्रथम माँग खाते से				20,000
	(8,000 अंशों पर अग्रिम माँग प्रथम माँग की देय राशि के साथ समायोजित)				
अक्तू. 31	समता अंश की द्वितीय व अंतिम माँग खाता	नाम		5,00,000	
	समता अंश पूँजी खाते से				5,00,000
	(प्रति अंश 4 रु. पर 2,00,000 अंशों पर देय द्वितीय व अंतिम मांग राशि)				
	अग्रिम माँग खाता	नाम		20,000	
	समता अंश द्वितीय व अंतिम माँग खाते से				20,000
	(8,00,000 अंशों पर अग्रिम माँग द्वितीय व अंतिम माँग राशि के साथ समायोजित)				
नव. 15	समता अंश पूँजी खाता	नाम		1,000	
	अंश हरण खाता				750
	समता अंश द्वितीय व अंतिम मांग खाते से				250
	(माँग राशि का भुगतान न होने पर 100 अंशों को हरण किया)				
नव. 16	अंश हरण खाता	नाम		100	
	समता अंश पूँजी खाते से				100
	(प्रति अंश 9 रु. पर पूर्ण प्रदत्त रूप में 100 अंशों का 'अ' को पुनः निर्गमन पर)				
नव. 16	अंश हरण खाता	नाम		650	
	पूँजी आरक्षित खाते से				650
	(अंश हरण समाप्त)				

© NCERT not to be republished

रोकड़ पुस्तक

नाम *जमा*

प्राप्तियाँ	*राशि (रु.)*	*भुगतान*	*राशि (रु.)*
समता अंश आवेदन	7,92,500	समता आवेदन	77,500
समता अंश आबंटन	6,85,000	शेष आ/ले	23,60,650
समता अंश प्रथम मांग	4,80,000		
समता अंश द्वितीय व अंतिम मांग	4,79,750		
समता अंश पूँजी	900		
	24,38,150		**24,38,150**

कार्यकारी टिप्पणी :

1. अतिरिक्त आवेदन राशि:–

आबंटन की श्रेणियां	*आवेदन किये गये अंशों की संख्या*	*आबंटन किये गये अंशों की संख्या*	*आबंटन का अनुपात*
i	38,000	38,000	100%
ii	2,40,000	1,60,000	2/3
iii	8,000	2,000	1/4
	2,86,000	**2,00,000**	

अत: वापस की गई आवेदन राशि = 3,17,000 रु. – 2,86,000 रु. × 2.50 रु.
= 77,500 रु.

प्राप्त आवेदन राशि (2,86,000 अंश 2.50 की दर से) = 7,15,000 रु.

अतिरिक्त आवेदन राशि (2,00,000 अंश 2.50 की दर से) = 5,00,000 रु.

अतिरिक्त आवेदन राशि = 2,15,000 रु.

2. अग्रिम माँग राशि
दो आबंटी प्रत्येक के पास 4,000 अंश, ने आवेदन पर पूर्ण राशि का भुगतान किया;
अत: अग्रिम माँग राशि = 8000 अंश (250 रु. + 2.50 रु.)
= 40,000 रु.

© NCERT not to be republished

बॉक्स 4

अंशों का पुनः क्रयः जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है, यह अंशों का पुनः क्रय कहलाता है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 'अ' में कंपनी को यह सुविधा है कि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय निम्न में से किसी प्रकार भी कर सकती है:-

(अ) आनुपातिक आधार पर वर्तमान समता अंश धारकों से

(ब) खुले बाजार से

(स) न्यून खेप अंश धारक

(द) कंपनी के कर्मचारियों से।

कंपनी अपने अंशों का पुन क्रम मुक्त आरक्षित प्रतिभूति अधिमूल्य या अंशों या प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से कर सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुन क्रय करने की स्थिति में, कंपनी को क्रय किये गये अंशों के वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि "पूँजी शोधन आरक्षित खाते" खाते में हस्तांतरित करनी होगी।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 77 'अ' में अंशों को करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया लागू होगी:-

(i) अंशों का क्रम अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए।

(ii) अंश धारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

(iii) एक वितिय वर्ष में अंशों का क्रय प्रदत्त पूँजी और मुक्त आरक्षित के 25% से अधिक नहीं हो सकता है।

(iv) अंशों के क्रय के पश्चात ऋण समता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं हो सकता है।

(v) अंशों के क्रय हेतु समस्त अंश पूर्णतः प्रदत्त होने चाहिए।

(vi) विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों को क्रय हो जाना चाहिए।

(vii) कंपनी को पंजिकृत और सेबी के पास शोधन समता अधिघोषण, जिसे कम से कम दो निदेशकों ने हस्ताक्षरित किया हो भेजी जानी चाहिए।

उदाहरण 22

गरीमा लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 3000 अंशों को 20 रु. प्रीमियम पर निर्गमन के आवेदन के लिये विवरण-पत्र जारी किया जो कि निम्न प्रकार देय है:

	रु.
आवेदन पर	20 प्रति अंश
आबंटन पर	50 प्रति अंश (अधिमूल्य सहित)
प्रथम माँग पर	20 प्रति अंश
द्वितीय भाग पर	30 प्रति अंश

4,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 3,600 अंशों के आवेदकों को अनुपातिक आबंटन किया गया, शेष आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आबंटन पर देय राशि के प्रति समायोजित की गई।

© NCERT not to be republished

रेणुका, जिसे 360 अंश आबंटित किए गए, आबंटन और माँग राशि का भुगतान करने में असफल रही और इनके अंशों को जब्त कर लिया गया।

कनिका, जो कि 200 अंशों की आवेदक है दो माँग राशि का भुगतान करने में असफल रही। इनके अंशों को जब्त कर लिया गया। यह सभी अंश नमन को 80 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में बेच दिये गये।

कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टयाँ दें।

हल

गरीमा लिमिटेड की पुस्तकें
रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रु.)*	*जमा राशि (रु.)*
	बैंक खाता नाम		80,000	
	अंश आवेदन खाते से			80,000
	(4,000 अंशों पर आवेदन की राशि 20 रु. प्रति अंश प्राप्त)			
	अंश आवेदन खाता नाम		80,000	
	अंश पूँजी खाते से			60,000
	अंश आबंटन खाते से			12,000
	बैंक खाते से			8,000
	(3000 अंशों की आवेदन राशि का अंश पूँजी खाते में, 600 अंशों की राशि की अंश आबंटन खाते में, 400 अंशों की राशि वापस में हस्तांतरण)			
	बैंक खाता नाम		1,50,000	
	अंश पूँजी खाते से			90,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			60,000
	(3,000 अंशों पर 50 रु. प्रति अंश से आबंटन राशि 20 रु. अधिलाभ सहित देय)			
	बैंक खाता नाम		1,21,440	
	अंश आबंटन खाते से			1,21,440
	(अंश आबंटन पर प्राप्त राशि देखे टिप्पणी 1)			
	अंश प्रथम माँग खाता नाम		60,000	
	अंश पूँजी खाते से			60,000
	(3,000 अंशों पर 20 रु. प्रति अंश माँग राशि देय)			

© NCERT not to be republished

	बैंक खाता	नाम		48,800	
	अंश प्रथम माँग खाते से				48,800
	(2,440 अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त)				
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाता	नाम		90,000	
	अंश पूँजी खाते से				90,000
	(3,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश माँग राशि देय)				
	बैंक खाता	नाम		73,200	
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से				73,200
	(2,440 अंशों पर द्वितीय और अंतिम माँग राशि प्राप्त)				
	अंश पूँजी खाता	नाम		56,000	
	प्रतिभूति अधिमूल्य खाता	नाम		7,200	
	अंश आबंटन खाते से				16,560
	अंश प्रथम माँग खाते से				11,200
	अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से				16,800
	अंश हरण खाते से (देखे टिप्पणी 3)				18,640
	(560 अंशों का हरण)				
	बैंक खाता	नाम		44,800	
	अंश हरण खाता	नाम		11,200	
	अंश पूँजी खाते से				56,000
	(560 रिण किये गये अंशों का पुन निर्गमन)				
	अंश हरण खाता	नाम		7,440	
	पूँजी आरक्षित खाते से				7,440
	(560 हरण किये गये अंशों का पुननिर्गमन पर लाभ हस्तांतरण)				

टिप्पणी :

आबंटन पर प्राप्त राशि की गणना निम्न प्रकार है:-

		(रु.)
	आबंटन पर देय कुल राशि (प्रीमियम सहित)	1,50,000
घटाया:	600 अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का आबंटन खाते में समायोजन	(12,000)
	3,000 अंशों पर शुद्ध आबंटन राशि देय	1,38,000
घटाया:	रेणुका को आबंटित 360 अंशों पर अप्राप्त राशि	
	$\frac{360}{3000}$ ×1,38,000	(16,560)
	2640 अंशों पर प्राप्त निवल राशि	1,21,440

© NCERT not to be republished

जब आबंटन में जिसमें प्रतिभूति प्रीमियम के 20 रु. प्रति अंश सममलित हैं प्राप्त नहीं हुये हैं, रेणुका द्वारा लिये गये 360 अंशों (अरण किये गये) के लिए अंश अधिलाभ खाता नियम के अनुसार नाम किया जायेगा। हरण की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जायेगी:

रेणुका से प्राप्त आवेदन राशि : $360 \times \frac{3,600}{3,000} = 432 \times 20 = 8,640$ रु.

कनिका से 200 अंशों पर प्राप्त आवेदन और आबंटन राशि	10,000
अंशों के हरण से प्राप्त कुल राशि	18,640

स्वयं करें

ऐक्सल कंपनी लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों का निर्गमन किया, जो कि निम्न प्रकार देय है:-

	रु.
आवेदन पर	2.50 प्रति अंश
आबंटन पर	2.50 प्रति अंश
प्रथम और अंतिम माँग पर	5.00 प्रति अंश

एक्स, जिसके पास 400 अंश थे ने माँग राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों को हरण कर लिया गया।

हरण किये गये अंशों में से 200 अंशों को 8 रु. प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पर पुनः निर्गमन किया गया।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और कंपनी की पुस्तकों में अंश पूँजी और अंश हरण खाता तैयार करें।

स्वयं जाँचिए -3

(अ) यदि 10 रु. के अंश पर माँग राशि 8 रु. है और 6 रु. भुगतान प्राप्त है। अंशों को हरण कर लिया जाता है। बताइये कि अंश पूँजी खाते में कौन सी राशि नाम की जायेगी

(ब) यदि 10 रु. के अंश पर 6 रु. भुगतान प्राप्त हैं अंशों को जब्त कर लिया गया है तब अंशों का पुनः निर्गमन किस पर किया जा सकता है।

(स) अलुवालिया लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 1000 समता अंशों को संयंत्र और मशीनरी क्रय मूल्य 1,00,000 रु. के क्रम समझोते के लिए निर्गमित किया।
कंपनी के रोजनामचे में किन प्रविष्टियों को अभिलेखित किया जायेगा।

उदाहरण 23

सनराईस कंपनी लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक 10,000 अंशों को 11 रु. प्रति अंश पर जनता में अभिदान के निर्गमित किया। राशि निम्न प्रकार है:

3 रु. आवेदन पर
4 रु. आबंटन पर (प्रीमियम सहित)
4 रु. प्रथम और अंतिम माँग पर

© NCERT not to be republished

12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और संचालकों ने आनुपातिक आबंटन किया।

श्री अहमद, 120 अंशों के आवेदक व आबंटन और माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे और श्री बासू जिनके पास 200 अंश थे माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे। इन सभी अंशों को जब्त कर लिया गया।

जब्त किये गये अंशों में से 150 अंशों (श्री अहमद के सभी अंशों सहित) को 8 रु. प्रति अंश में निर्गमित किया।

उपरोक्त व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियों का अभिलेखन करें और अंश हरण खाता बनाइये।

हल

लिमिटेड की पुस्तकें

रोजनामचा

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*नाम राशि (रुपये)*	*जमा राशि (रुपये)*
	बैंक खाता नाम		36,000	
	अंश आवेदन खाते से			36,000
	(12,000 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से आवेदन राशि प्राप्त)			
	अंश आवेदन खाता नाम		36,000	
	अंश पूँजी खाते से			30,000
	अंश आबंटन खाते से			6,000
	(10,000 अंशों की आवेदन राशि का पूँजी खाते में और शेष को आबंटन खाते में हस्तांतरण)			
	अंश आबंटन खाता नाम		40,000	
	अंश पूँजी खाते से			30,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाते से			10,000
	(10,000 अंशों पर 4 प्रति अंश की दर से, 1 रु. अधिलाभ सहित आबंटन राशि देय)			
	बैंक खाता नाम		33,660	
	अंश आबंटन खाते से			33,660
	(अंश आबंटन पर प्राप्त राशि देखे टिप्पणी 1)			
	अंश प्रथम और अंतिम माँग खाता नाम		40,000	
	अंश पूँजी खाते से			40,000
	(10,000 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश की दर से माँग राशि देय)			

© NCERT not to be republished

	बैंक खाता	नाम		38,800	
	अंश प्रथम और अंतिम माँग खाते से				38,800
	(9,700 अंशों पर प्राप्त माँग राशि)				
	अंश पूँजी खाता	नाम		3,000	
	प्रतिभूति अधिलाभ खाता (देखे टिप्पणी 2)	नाम		100	
	अंश आबंटन खाते से				340
	अंश प्रथम और अंतिम माँग खाते से				1,200
	अंश हरण खाते से (देखे टिप्पणी 3)				1,560
	(300 अंशों का हरण)				
	बैंक खाता	नाम		1,200	
	अंश हरण खाता	नाम		300	
	अंश पूँजी खाते से				1500
	(300 अंशों का हरण)				
	अंश हरण खाता	नाम		360	
	पूँजी आरक्षित खाते से				360
	(150 हरण किए गये अंशों के निर्गमन पर लाभ का पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरण)				

अंश हरण खाता

तिथि	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*राशि (रु.)*	*तिथि*	*विवरण*	*ब.पृ. सं.*	*राशि (रु.)*
	अंश पूँजी		300		विविध		1,560
	पूँजी आरक्षित		360				
	शेष आ/ले		900				
			1,560				**1,560**

कार्यकारी टिप्पणियाँ:–

1. आबंटन पर प्राप्त राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

	(रु.)
10,000 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश से देय कुल आबंटन राशि	40,000
घटाया: 2,000 अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि का समायोजन	(6,000)
घटाया: 120 अंशों के आवेदक से देय राशि जिनको 100 अंशों का आबंटन किया गया	
$\frac{100}{10,000} \times 34,000$	(340)
आबंटन पर प्राप्त राशि	33,660

2. प्रतिभूति प्रीमियम खाते को केवल 100 रु. नाम लिखे गये हैं, जोकि श्री अहमद के 100 अंशों के आबंटन से संबंधित है जिनसे आबंटन राशि (प्रीमियम सहित) नहीं प्राप्त हुई है।

© NCERT not to be republished

3. अंश हरण खाता, हरण किये गये अंशों पर प्राप्त राशि अंश प्रीमियम को छोड़ कर दर्शाता है इस की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:

श्री अहमद 120 अंशों पर 3 रु. प्रति अंश की दर से आवेदन राशि का भुगतान किया	360
श्री बासू ने 200 अंशों पर 6 रु. प्रति अंश की दर से भुगतान किया (आवेदन और आबंटन राशि प्रीमियम के अतिरिक्त)	1200
कुल प्राप्त राशि	1560

4. श्री अहमद के हरण किये गये 100 अंशों पर प्राप्त राशि 360

$\frac{50}{200} \times 1{,}200$ रु. 300

150 हरण किये गये अंशों पर प्राप्त कुल राशि जो कि पुन: निर्गमित किये गये	660
घटाया: हरण किये गये अंशों के पुन: निर्गमन पर बट्टा (150 × 2 रु.)	300
पूँजी लाभ की राशि का पूँजी संयम खाते में हस्तांतरण	360

स्वयं करें

निम्न की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें:

(अ) कंपनी के निदेशकों ने 10 रु. प्रत्येक 200 समता अंशों को हरण किया जिन पर 800 रु. भुगतान प्राप्त था। इन अंशों को 1,500 रु. के भुगतान पर पुन निर्गमित किया गया।

(ब) अ 10 रु. प्रत्येक के 100 अंशों का धारक है जिस पर आवेदन राशि 1 रु. का भुगतान किया गया है। ब 10 रु. प्रत्येक के 200 अंशों का धारक है जिस पर आवेदन राशि 1 रु. और आबंटन राशि 2 रु. का भुगतान किया गया है। स 10 रु. प्रत्येक के 300 अंशों का धारक है जिस पर 1 रु. आवेदन, 2 रु. आबंटन और 3 रु. प्रथम माँग का भुगतान किया गया है ये सभी बकाया राशि और द्वितीय माँग राशि 4 रु. प्रति अंश का भुगतान करने में असफल रहे। अ, और स के सभी अंशों को जब्त (हरण) कर लिया गया और 11 रु. प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त में पुन: निर्गमित किया गया।

अध्याय में प्रयुक्त शब्द

1. संयुक्त पूजी कंपनी
2. अंश पूँजी
3. अधिकृत पूँजी
4. निर्गमित पूँजी
5. अनिर्गमित पूँजी
6. अभिदत्त पूँजी
7. मांगी गई पूँजी
8. अयाचित पूँजी
9. चुकता पूँजी
10. आरक्षित पूँजी
11. अंश
12. अधिमानी अंश
13. अमोचीय पूर्वाधिकार अंश
14. समता अंश
15. रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन
16. अंशों पर बट्टा
17. अंशों पर प्रीमियम (अधिलाभ)
18. आवेदन राशि
19. न्यूनतम अभिदान
20. अंशों पर माँग राशि
21. माँग की बकाया राशि
22. अग्रिम प्राप्त मांग
23. अधि अभिदान
24. न्यूनतम अभिदान
25. अंशों का हरण
26. हरण किये गये अंशों का पुन: निर्गमन
27. अंशों का पुन: क्रय

© NCERT not to be republished

अधिगम उद्देश्य के संदर्भ में सारांश

कंपनी : एक संगठन जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो अंश धारक कहलाते हैं क्योकि उनके पास कंपनी के अंश हैं तथा वह चुने हुए निदेशक मंडल के माध्यम से व्यवसाय के लिए वैधानिक व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं।

अंश : एक पूँजी का एक भिन्नात्मक भाग होता है जो कंपनी में स्वामित्व का आधार बनाता है कंपनी अधिनिमन 1956 के प्रावधानों के अनुसार सामान्यत: अंश दो प्रकार के होते हैं अर्थात समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश पुन: भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं जो उनको दिए गए अधिकारों की भिन्नता पर आधारित हैं कंपनी की अंश पूँजी चयन किये गये व्यक्तियों के समूहू द्वारा निजी निर्गमन या जनता द्वारा अभिदान से अंशों का निर्गमन करके एकत्र की जाती है अत: अंशों का निर्गमन रोकड़ द्वारा या रोकड़ प्रतिफल के अतिरिक्त जिसमें पहला समान्य है, किया जाता है। जब कंपनी व्यापार क्रय या कुछ संपति/परिसंपतियां करती हैं और बेचने वाला पक्ष भुगतान के रूप में कंपनी के पूर्ण भुगतान प्राप्त अंशों को लेने के सहमत होगा तब अंशों का निर्गमन रोकड़ प्रतिफल के अतिरिक्त कहा जायेगा।

अंशों के निर्गमन की अवस्थायें: रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन, इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित कार्यविधि के सर्वथा अनुरूप जारी करने की अपेक्षा की जाती है। जब अंश रोकड़ के लिए जारी किए जाते हैं तो उन पर निम्नलिखित एक या इससे अधिक अवस्थाओं में राशि इकट्ठी की जा सकती है।

(i) अंशों के आवेदन पर

(ii) अंशों के आबंटन पर

(iii) अंशों पर मांग/मांगों पर

बकाया मांग: कभी-कभी आबंटन पर मांगी गई पूर्ण राशि और/या माँग (मांगों) की धनराशि आबंटियों/अंशधारकों से प्राप्त नहीं हो पाती है, इस प्रकार प्राप्त नहीं हुई राशि को संचयी तौर पर 'अदत्त मांग' या माँग की बकाया राशि कहते हैं हालांकि किसी कंपनी के लिए माँग की बकाया राशि का अलग खाता रखना अनिवार्य नहीं है। ऐसे भी दृष्टांत है जहां कुछ अंशधारक उनको आबंटित अंशों पर अभी तक मांगी गई आंतरिक या पूर्ण राशि का भुगतान करना विवेकपूर्ण मानते हैं। अंश धारक द्वारा आबंटन/मांग/(मांगों) पर उनसे प्राप्त राशि से अधिक किया गया भुगतान माँग की अग्रिम राशि के नाम से जाना जाता है जिसके लिए एक अलग खाता रखा जाता है कंपनी को अपने अंतर्नियमों के अनुसार माँग की बकाया राशियों पर ब्याज लगाने की शक्ति है और यदि यह इनको स्वीकार करती है तो अग्रिम माँग की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व भी होता है।

अधि अभिदान : कुछ कंपनीयों के अंशों के संबंध में यह संभव है कि अभिदान दान की स्थिति उपन्न हो, जिसका अर्थ है विवरण-पत्रिण के माध्यम से प्रस्तावित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं ऐसी स्थिति में संचालकों के पास निम्नलिखित विकल्प रहते हैं:

(i) वे कुछ आवेदनों को पूर्णत: स्वीकार कर सकते हैं और अन्य को पूरी तरह अस्वीकर कर सकते हैं।

(ii) उनके द्वारा यथानुपात विवरण किया जा सकता है।

(iii) उपयुक्त दोनों विकल्पों को मिला जुलाकर अपनाया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

यदि अभिदान की राशि का 90% तक न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होगी तब निर्गमन रदद् होगा। इस स्थिति में जनता को प्रस्तावित अंशों पर कम आवेदन प्राप्त होगा। इस निर्गमन को अल्प अभिदान कहेंगे।

प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन : इस बात पर विचार किए बिना कि अंश रोकड़ से भिन्न प्रतिफल के लिए या रोकड़ के लिए निर्गमित किए गए हैं, वे या तो सममूल्य पर या अधिमूल्य पर जारी किए जा सकते हैं सममूल्य पर निर्गमित अंशों का अर्थ है कि अंश अपने अंकित या सामान्य/सममूल्य के लिए जारी किए गए हैं यदि अंश प्रीमियम पर अर्थात अंकित मूल्य या सममूल्य से अधिक राशि पर निर्गमित किए गए हैं तो प्रीमियम की राशि अंश अधिलाभ खाते के नाम से एक अलग खाते में जमा की जाती है जिसका उपयोग सर्वथा कानून के अनुसार ही किया जाता है।

बट्टे पर अंशों का निर्गमन : अंश बट्टे पर अर्थात: अंकित मूल्य या सममूल्य से कम राशि पर जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कंपनी इसके संबंध में कानून द्वारा निधार्रित प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन करती हो। इस अनुपालन के अलावा कंपनी के अंश साधारणत: बट्टे पर जारी नहीं किए जा सकते। जब अंश बट्टे पर जारी किए जाते हैं तो बट्टे की राशि अंश निर्गमन पर बट्टा खाते के नाम पक्ष में लिखी जाती है जो कंपनी के लिए पूँजी हानि की प्रकृति की तरह होती है।

अंशों का हरण: कभी कभी अंशधारक आबंटित अंशों पर एक या अधिक किस्तों का भुगतान नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास चूककर्ताओं के अंशों को हरण करने का अधिकार होता है इसे अंशों का हरण कहते हैं। हरण का अर्थ अनुबंध भंग होने के कारण आबंटन का निरस्तीकरण और अंशों पर प्राप्त राशि को अंश हरण राशि के रूप में मानते हैं। अंश हरण का संक्षिप्त लेखांकन उन शर्तों पर निर्भर करता है जिन पर से अंश जारी किए गए हैं सममूल्य पर अधिमूल्य पर या बट्टे पर। सामान्यत: यूं कहें कि हरण पर लेखांकन हरण की अवस्था तक पारित प्रविष्टियों को विघटित करना है अंशों पर पहले प्राप्त हो चुकी राशि हरण किए गए अंश खाते में जमा कर दी जाएगी।

अंशों का पुन: निर्गमन : कंपनी के प्रबंधन में इसके द्वारा एक बार हरण कर लिए अंशों को पुन: जारी करने की शक्ति निहित होती है बशर्ते कि संस्था के अंतर्नियमों में इससे संबंधित शर्तों और निबंधनों में ऐसा प्रावधान हो। ये अंश बट्टे पर भी पुन: जारी किए जा सकते हैं बशर्ते अनुमानत: बट्टे की राशि पुन: जारी किए जाने वाले अंश से संबंधित अंश हरण खाते के जमा शेष से अधिक न हों। अत: हरण किए गए अंशों को पुन: जारी किए जाने पर दिया गया बट्टा अंश हरण खाते के नाम लिखा जाता है।

एक बार जब हरण किए गए अंशों का पुन: निर्गमन किया जायेगा अंश हरण खाते के जमा शेष को पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरित करेंगे जोकि हरण किए गये अंशों पर लाभ को दर्शाता है। सभी हरण किये गये को पुन: निर्गमन नहीं करने की स्थिति में अंशों पर हरण खाते में जमा राशि को पुन: निर्गमित न किये गये अंशों से संबंधित राशि को आगे ले जाया जायेगा और खाते में केवल शेष राशि को पूँजी आरक्षित खाते में जमा करेंगे।

अभ्यास के लिए प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सार्वजनिक कंपनी क्या है?
2. निजी कंपनी क्या है?

© NCERT not to be republished

3. सरकारी कंपनी को परिभाषित करें?
4. आप सूचीबध कंपनी से क्या समझते हैं?
5. प्रतिभूति अधिमूल्य का प्रयोग क्या है?
6. अंशों का पुनः क्रय से क्या तात्पर्य है?
7. न्यनतम अभिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. कंपनी शब्द का क्या अर्थ है इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।
2. उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन करें जिनमें कंपनी की अंश पूँजी वर्गीकृत की जाती है।
3. आप अंश से क्या समझते हैं कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित के अनुसार अंशों की श्रेणियों को स्पष्ट करें।
4. अधि-अभिदान की स्थिति में कंपनी के अंशों आबंटन की प्रक्रिया का वर्णन करें।
5. अधिमान अंश क्या विभिन्न प्रकार के पूर्वाधिकार अंशों का वर्णन करें।
6. माँग की बकाया राशि और माँग की अग्रिम राशि से संबंधित विधि के प्रावधानों का वर्णन करें।
7. अधि अभिदान और अल्प अभिदान शब्दों को सप्ष्ट करें। लेखा पुस्तकों में इस का लेखा किस प्रकार किया जाता है।
8. उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी अभिमूल्य खाते का प्रयोग कर सकती है।
9. उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन करती है।
10. अंशों का हरण शब्द की व्याख्या करें और हरण की लेखा विधि को बताएं।

संख्यात्मक प्रश्न

1. अनीश लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 30,000 समता अंशों का निर्गमत किया जो 30 रु. आवेदन पर, 50 रु. आबंटन पर और 20 रु. प्रथम और अंतिम माँग पर देय हैं। सभी राशि विधिवत प्राप्त की गई। इन व्यवहारों को कंपनी के रोजनामचों में अभिलेखित करें।

2. आर्दश कंट्रोल डिवाईस लिमिटेड 3,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी जो कि 10 रु. प्रत्येक के 30,000 अंशों में विभाजित है पूंजिकृत है जनता को आमंत्रित किए। जिस पर 3 रु. प्रति अंश आवेदन पर 4 रु. प्रति अंश आबंटन पर 3 रु. प्रति प्रथम एवं अंतिम माँग पर देय हैं। इन अंशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और सभी राशि प्राप्त की गई रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

3. सॉफटवेयर सोलूशन इंडिया लिम्टिड ने 100 रु. प्रत्येक के 20,000 समता अंशों के लिए आवेदन अमंत्रित किये, जिन पर 40 रु. आवेदन पर 30 रु. आबंटन पर और 30 रु. माँग पर देय हैं कंपनी ने 32000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किया। 2,000 अंशों के आवेदकों को राशि वापस लौटा दी गई। 10,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया और 20,000 अंशों के आवेदकों को आवेदन किये गये अंशों के आधे अंश आबंटित किये गये और आधिक्य राशि को आबंटन में समायोजित कर लिया गया। आबंटन और देय सभी राशि प्राप्त की गई। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

© NCERT not to be republished

4. रूपक लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया जिन पर 20 रु. प्रति अंश आवेदन पर, 30 रु. प्रति अंश आबंटन पर और 25 रु. प्रति अंश की दो माँग में देय है। आवेदन और आबंटन राशि प्राप्त कर ली गई। प्रथम माँग पर एक सदस्य के अतिरिक्त जिसके पास 200 अंश हैं, सभी सदस्यों ने अपनी देय राशि का भुगतान किया जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश हैं शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। अंतिम माँग अभी मांगी नहीं गई है।

5. मोहित ग्लास लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 20,000 अंशों का 110 रु. प्रति अंश में निर्गमन किया। जिन पर 30 रु. आवेदन पर 40 रु. आबंटन पर (अधिलाभ सहित) 20 रु. प्रथम माँग पर और 20 रु. अंतिम माँग पर देय है। 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुये और 20,000 अंशों का आबंटन किया गया और 4,000 अंशों को अस्वीकार करके उन पर प्राप्त राशि लोटा दी गई। सभी राशि प्राप्त की गई।
रोजनामचा प्रविष्टियों करें।

6. एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रु. प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों को 2 रु. प्रति अंश प्रीमियम पर, 10 रु. प्रत्येक के 2,00,000, 10% अधिमान अंशों सममूल्य के लिए अभिदान अमंत्रित किया
अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार है।

	समता अंश	अधिमान अंश
आवेदन पर	3 रु. प्रति अंश	3 रु. प्रति अंश
आबंटन पर	5 रु. प्रति अंश (अधिलाभ सहित)	4 रु. प्रति अंश
प्रथम माँग पर	4 रु. प्रति अंश	3 रु. प्रति अंश

सभी अशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ, मांगी गई राशि प्राप्त हुई कंपनी की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों को रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक में अभिलेखन करें।

7. ईस्टर्न कंपनी, जिसकी अधिकृत पूँजी 10 रु. प्रत्येक अंश 10,00,000 है ने 50,000 अंश 3 रु. प्रति अंश अधिमूल्य पर निर्गमित किए जो इस प्रकार देय हैं :

आवेदन पर	3 रु. प्रति अंश
आबंटन पर (अधलाभ सहित)	5 रु. प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के तीन महीने बाद देय)	3 रु. प्रति अंश

8. सुमिम मशीन लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 50,000 अंशों को 5% बट्टे पर निर्गमन किया। अंशों पर 25 रु. आवेदन पर, 40 रु. आबंटन पर 30 रु. प्रथम और अंतिम माँग पर देय हैं निगर्मन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और 400 अंशों पर अंतिम माँग के अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त की गई। बट्टे को आबंटन पर समायोजित किया जायेगा।
रोजनामचा प्रविष्टियों और तुलन पत्र तैयार करें।

9. कुमार लिमिटेड ने भानू आयल लिमिटेड से 6,30,000 रु. की परिसंपत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने समझोते के अनुसार 100 रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत अंशों का निर्गमन किया। कौनसी रोजनामचा प्रविष्टियों की जायेंगी यदि अंशों का निर्गमन (अ) सममूल्य पर (ब) 10% बट्टे पर और (स) 20% प्रीमियम पर हो।
(**उत्तर:** निर्गमित अंशों की संख्या (अ) 630 (व) 7,000 (स) 5,250)

© NCERT not to be republished

10. बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने हण्डा टैडस से 3,20,000 रु. मूल्य की मशीन का क्रय किया। 50,000 रु. का रोकड़ भुगतान किया गया और शेष राशि के लिए 100 रु. प्रत्येक के अंशों का 90 रु. निर्गम मूल्य पर किया गया।
उपयुर्क्त व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियां करें।
(निर्गमित अंशों की संख्या : 3,000 अंश)

11. नयन लिमिटैड ने 100 रु. प्रत्येक के 20,000 अंशों का निर्गमन किया जिस पर 25 रु. आवेदन पर, 30 रु. आबंटन पर, 25 रु. प्रथम माँग पर और शेष अंतिम माँग पर देय हैं। अनुमा, जिसके पास 200 अंश हैं ने आबंटन राशि और माँग राशि का भुगतान नहीं किया और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं जो दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया, के अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हुई। संचालकों ने अनुमा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया।
रोजनामचा प्रविष्टियां करें।

12. कृष्णा लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 15,000 अंशों का 10 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर निर्गमन किया। जो इस प्रकार देय हैं:–

आवेदन पर	30 रु.
आबंटन पर	50 रु. (अधिलाभ सहित)
प्रथम और अंतिम माँग पर	30 रु.

सभी अंशों पर अभिदान प्राप्त हुआ और कंपनी ने सभी देय राशि 150 अंशों पर आबंटन और माँग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की इन अंशों का हरण किया गया और नेहा को 12 रुप्रत्येक के पूर्ण प्रपत्र अंशों में पुनर्निगम किया गया।
कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।
(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 4,500 रु.)

13. आरूशी कम्पयूटर लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 10,000 समता अंशों का 10% बट्टे पर निर्गमन किया। जिन पर निवल राशि इस प्रकार देय है।

आवेदन पर	20 रु.
आबंटन पर	30 रु. (40 – 10 रु. बट्टा)
प्रथम माँग पर	30 रु.
अंतिम माँग पर	10 रु.

एक अंश धारी जिसके पास 200 अंश हैं ने अंतिम माँग का भुगतान नहीं किया। इसके अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों में से 150 अंशों को सोनिया को 75 रु. प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया।
कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।
(**उत्तरः** पूँजी आरक्षित 9,750 रु.)

14. रौनक कोटन लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 6,000 समता अंशों के 20 रु. प्रति अंश अधिलाभ पर निर्गमन के लिए विवरण पत्रिका से जारी करके आवेदन मांगे। जो निम्न प्रकार देय हैं।

© NCERT not to be republished

आवेदन पर	20 रु.
आबंटन पर	50 रु. (अधिलाभ सहित)
प्रथम माँग पर	30 रु.
अंतिम माँग पर	20 रु.

10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 8,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आबंटन किया गया तथा शेष आवेदकों को वापस कर दिया गया आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जायेगा।

रोहित जिसको 300 अंशों का आबंटन किया गया था आबंटन और माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहा और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। ईतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था माँग राशि का भुगतान करने में असफल रही उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। इन सभी अंशों का कार्तिक को 80 रु. पूर्ण प्रदत्त में विक्रय किया गया।

कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां करें।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 7,000 रु.)

15. हिमालय कंपनी लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 1,20,000 समता अंश 2 रु. अधिलाभ पर जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किए जो निम्न प्रकार देय हैं:-

आवेदन पर	3 रु. प्रति अंश
आबंटन पर (अधिलाभ सहित)	5 रु. प्रति अंश
प्रथम माँग पर	2 रु. प्रति अंश
द्वितीय और अंतिम माँग पर	2 रु. प्रति अंश

1,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यथानुपात आधार पर आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया।

रोहन जिसको 4800 अंशों का आबंटन किया गया था दोनों माँग राशि देने में असफल रहा। इन अंशों को द्वितीय माँग राशि के बाद हरण कर लिया गया। सभी हरण किए गये अंशों को रीना को 7 रु. प्रति अंश में पुनः निर्गमन किया गया।

कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और अंश पूँजी से संबंधित व्यवहारों को कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाये।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 14,400 रु.)

16. प्रिंस लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 2,00,000 समता अंशों को 3 रु. अधिलाभ पर निर्गमन करने के लिये विवरण-पत्र पर अमंत्रित किया जो निम्न प्रकार देय हैं:

आवेदन पर	2 रु.
आबंटन पर (प्रीमियम सहित)	5 रु.
प्रथम माँग पर	3 रु.
द्वितीय माँग पर	3 रु.

30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन अनुपातिक आधार पर किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जायेगा।

© NCERT not to be republished

श्री मोहित जिनको 400 अंश आबंटिन किए गए थे आबंटन और प्रथम माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहै और प्रथम माँग के पश्चात उनके अंशों का हरण कर लिया गया। श्री जौली जिनको 600 अंशों की आबंटन हुआ था दोनों माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे अत: इनके अंशों का हरण कर लिया गया।

हरण किए गये अंशों में से 800 अंशों का पुन: निर्गमन सुप्रिया को 9 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया, जिसमें श्री मोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं।

कंपनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और तुलन पत्र तैयार करें।

(**उत्तर** : पूँजी आरक्षित 2,000 रु.)

17. लाईफ मशीन टूल्स लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 50,000 समता अंशों को 12 रु. प्रति अंश पर निर्गमन किर्या आवेदन पर 5 रु. (अधिलाभ सहित) आबंटन पर 4 रु. और शेष प्रीमियम और अंतिम माँग पर देय हैं। 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त रोकड़ ऐसे 40,000 वापस किए गये और 60,000 रु. को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया 500 अंशों के एक अंशधारक को छोड़कर सभी अंश धारकों ने माँग देय राशि का भुगतान किया। इन अंशों का हरण कर लिया गया और 8 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त पर निर्गमन किया व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियां करें।
(**उत्तर** : पूँजी आरक्षित 2,500 रु.)

18. ओरिंएट कंपनी लिमिटेड ने जनता में अभिदान के लिए 10 रु. प्रत्येक के 20,000 समता अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया जिन पर आवेदन पर 2 रु., आबंटन पर अधिलाभ सहित 4 रु., प्रथम माँग पर 3 रु. और द्वितीय और अंतिम माँग 2 रु. देय हैं। 26,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 4,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। शेष आवेदकों को अनुपातिक आबंटन किया गया दोनों मांगों की माँग की गई और 500 अंशों को छोड़कर सभी माँग राशि प्राप्त की गई इन अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गये ऐसे 300 अंशों को 9 रु. प्रति अंश पर पुनर्निर्गमन किया गया।
रोजनामचा प्रविष्टियां करें और तुलन पत्र तैया करें।
(**उत्तर** : पूँजी आरक्षित 2,100 रु.)

19. अलफा लिमिटेड ने 10 रु. प्रत्येक के 4,00,000 समता अंशों के लिए निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए:

आवेदन पर देय	5 रु. प्रति अंश
आबंटन पर देय	3 रु. प्रति अंश
प्रथम और अंतिम माँग पर देय	2 रु. प्रति अंश

5,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यह निर्णय लिया गया:
(अ) 20,000 अंशों के आवेदकों को आबंटन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(ब) 80,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आबंटन किया जायेगा
(स) शेष बचे अंशों को अन्य आवेदकों के बीच अनुपातिक आधार पर किया जायेगा।
(द) अधिक आवेदन राशि को आबंटन राशि के भुगतान में उपयोग किया जायेगा।

एक आवेदक जिसको अनुपातिक आधार पर आबंटन किया गया जिसने आबंटन और माँग राशि का भुगतान नहीं किया और उसके 400 अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों का पुन निर्गमन 9 रु. प्रति अंश पर

© NCERT not to be republished

किया गया।

रोजनामचा प्रविष्टियों को दर्शाये और उपरोक्त का अभिलेखन करने के लिए रोकड़ पुस्तक तैयार करें।।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 2,100 रु.)

20. अशोका लिमिटेड कंपनी ने 20 रु. प्रत्येक के समता अंशों का 4 रु. बट्टे पर निर्गमित किया जिसमें से 1,000 अंशों का हरण 4 रु. अंतिम माँग के भुगतान न करने पर किया। हरण किये गए 400 अंशों को 14 रु. प्रति अंश पर पुन निर्गमित किया गया। शेष अंशों में से 200 अंशों को 20 रु. प्रति अंश पर निर्गमित किया गया। अंशों के हरण और पुन निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित की गई राशि और अंश हरण खाते में शेष राशि को दर्शाये।

(**उत्तर:** पूँजी आरक्षित 6,400 रु. अंश हरण खाते का शेष 4,800 रु.)

21. अमित के पास 10 रु. प्रत्येक के 100 अंश हैं जिस पर उसने 1 रु. प्रति अंश आवेदन राशि का भुगतान किया है विमल के पास 10 रु. प्रत्येक के 200 अंश हैं जिस पर उसने 1 रु. और 2 रु. प्रति अंश क्रमश: आवेदन और आबंटन राशि का भुगतान किया हुआ है चेतन के पास 10 रु. प्रत्येक के 300 अंश हैं जिस पर उसने 1 रु. आवेदन पर, 2 रु. आबंटन पर 3 रु. प्रथम माँग पर भुगतान किया है। ये सभी बकाया राशि और द्वितीय माँग 2 रु. का भुगतान करने में असफल रहे निर्देशकों ने इनके अंशों का हरण कर लिया। इन अंशों का पुननिर्गमन 11 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया।

व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 2500 रु.)

22. अंजता लिमिटेड की सामान्य पूँजी 3,00,000 रु. है जो 10 रु. प्रत्येक के अंशों में विभाजित है जनता को 20,000 अंशों के अभिदान के लिए आमंत्रित करती है, जो आवेदन पर 2 रु. आबंटन पर 3 रु. और शेष 2.50 की दो माँग में देय हैं। कंपनी को 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 20,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार किया गया और अंश आबंटित किए गये। शेष अंशों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन राशि वापस कर दी गई।

600 अंशों पर अंतिम माँग छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त कर ली गई। जो कि कानूनी औपाचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात हरण कर लिये गये। हरण किए गये अंशों में से 400 अंशों को 9 रु. प्रति अंश पर पुन: निर्गमित कर दिया गया।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें प्रलेखन करें और पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित राशि और अंश हरण खाते का शेष दर्शाते हुए तुलन पत्र तैयार करें।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित में हस्तांतरित राशि 2600 रु.)

23. निम्न व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ भूषण आयल लिमिटेड की पुस्तकों में करें:

(अ) 100 रु. प्रत्येक के 200 अंशों का 10 रु. बट्टे पर निर्गमन किया गया इनका हरण 50 रु. प्रति अंश आबंटन राशि का भुगतान न करने पर किया गया। प्रथम और अंतिम माँग राशि 20 रु. प्रति अंश की माँग इन अंशों पर नहीं की गइ। है। हरण किए गये अंशों को 70 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में निर्गमित किया गया।

© NCERT not to be republished

(ब) 10 रु. प्रत्येक के 150 अंशों को 4 रु. अधिलाभ जो कि आबंटन पर देय हैं का हरण आबंटन राशि 8 रु. प्रति अंश प्रीमियम सहित का भुगतान न होने पर किया गया। प्रथम और अंतिम माँग राशि 4 रु. प्रति अंश अभी मांगी नहीं गई है। हरण किए गये अंशों का पुनः निर्गमन 15 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया।

(स) 50 रु. प्रत्येक सम मूल्य पर निर्गमित किये गये 400 अंशों का हरण 10 रु. प्रति अंश अंतिम मांग का भुगतान न करने पर किया गया। इन अंशों का पुनः निर्गमन 45 रु. प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित (अ) शून्य (ब) 300 रु. (स) 14,000 रु.

24. अमिश लिमिटेड ने 100 रु. प्रत्येक के 40,000 अंशों को 20 रु. प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए आवेदन आमंत्रित करे। जिस पर 40 रु. आवेदन पर; 40 रु. आबंटन पर (अधिलाभ सहित) 25 रु. प्रथम माँग पर; 15 रु. द्वितीय और अंतिम माँग पर देय हैं।

50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और अनुपातिक आधार पर आबंटन किया गया। अधिक आवेदन राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जायेगा।

रीहित जिसको 600 अंशों का आबंटन किया गया था आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहे इनके अंशों का आबंटन के पश्चात हरण कर लिया गया। आसमिता, जिसने 1000 अंशों के लिए आवेदन किया था दोनों मांगों का भुगतन करने में असफल रही इनके अंशों का हरण द्वितीय माँग के पश्चात किया गया हरण किये गये अंशों में से 1,200 अंशों का विक्रय कपिल को 85 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया। जिसमें रोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियों करें।

(**उत्तर :** पूँजी आरक्षित 48,000 रु., अंश हरण खाते का शेष 12,800 रु.)

स्वयं जाँचिये हेतु जाँच सूची

स्वयं जाँचिये–1

(अ) असत्य (ब) सत्य (स) असत्य (द) सत्य (च) सत्य (छ) सत्य (न) सत्य (म) सत्य (व) असत्य (व) असत्य (फ) सत्य (घ) असत्य (ब) असत्य (व) असत्य (ज) सत्य (झ) असत्य (ड) सत्य

स्वयं जाँचिये–2

(अ) (ii) (ब) (iii) (स) (i) (व) (ii) (च) (i) (र) (iii)

स्वयं जाँचिये–3

(अ) 8 रुपये (ब) रूपये (स) विक्रेता नाम 1,00,000 अंश पूंजी खाते में 1,00,000

© NCERT not to be republished